<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092024-256948 CG-DL-E-07092024-256948

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687] No. 687] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/ भाद्र 12, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/ BHADRA 12, 1946

> वास्तुकला परिषद् (भारत सरकार का एक संवैधानिक प्राधिकरण) वार्षिक प्रतिवेदन 2023—2024

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

फा. सं. सीए / 55 / 2024 / वार्षिक प्रतिवेदन. — वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और खातों के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वास्तुकला परिषद् (सीओए) देश में वास्तुकला संस्थानों तथा व्यवसायियों के लिये नियामक प्राधिकरण है और यह राष्ट्रीय आधार पर वास्तुविदों की एक पंजिका अनुरक्षित करती है। शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार परिषद् का केंद्रक मंत्रालय है। सीओए, वास्तुविदों की पंजिका का अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों की समितियों के माध्यम से निरीक्षण संचालनकारिता के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त योग्यताओं के मानकों का आवधिक अनुरक्षण भी करती है। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों के आधार पर सीओए, संस्थानों द्वारा अनुरक्षित मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में संबंधित सरकार को अभ्यावेदन दे सकती है।

प्रोफे. अभय वी. पुरोहित परिषद् के अध्यक्ष तथा वास्तुविद गजानंद राम उपाध्यक्ष हैं। श्री आर. के. ओबराय परिषद् के रिजस्ट्रार तथा श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत विरचित नियमाविलयों के उद्देश्यों को पूर्ण करने के क्रम में, परिषद् ने निम्नलिखित संवैधानिक समितियों का गठन किया है:

- (i) कार्यकारिणी समिति का गठन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है तथा यह परिषद् के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
- (ii) अनुशासनपरक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा बनाये गयी वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के अनुसार किया गया है। यह समिति वास्तुविदों के खिलाफ शिकायतों तथा व्यावसायिक कदाचार संबंधी आरोपों की जांच करती है तथा वास्तुविदों के कदाचारगत दोष पर निर्णय लेने के लिये परिषद् के पास अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करती है।

5633 GI/2024 (1)

- (iii) सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपील सुनती है, जिनके पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन रजिष्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- (iv) विदेश संबंधी योग्यताओं पर गठित उप-सिमिति, विदेशी वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच करती है।
- (v) जांच समिति, बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये अनुमोदन / अतिरिक्त प्रवेश / नवीन संस्थानों के विस्तार हेतु विद्यमान संस्थानों से प्राप्त होनेवाले प्रस्तावों / आवेदनों की जांच करती है।

परिषद् की 01.04.2023 से लेकर के 31.03.2024 तक संपन्न हुईं विभिन्न गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

### 1. बैठकें :

परिषद की बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वाले वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें संपन्न हुई थीं, अर्थात् 2 सितंबर 2023 को 80वीं बैठक और 9 दिसंबर 2023 को 81वीं बैठक संपन्न हुई।

कार्यकारी समिति की बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की 10 बैठकें संपन्न हुई थीं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बैठक सं.	दिनांक	माध्यम
1.	249वीं बैठक	28 अप्रैल, 2023	हाइब्रिड
2.	250वीं बैठक	2 जून, 2023	ऑफलाइन
3.	251वीं बैठक	24 जून, 2023	हाइब्रिड
4.	252वीं बैठक	18 अगस्त, 2023	हाइब्रिड
5.	253वीं बैठक	1 सितंबर, 2023	ऑफलाइन
6.	254वीं बैठक	24 नवंबर, 2023	हाइब्रिड
7.	255वीं बैठक	8 दिसंबर 2023	ऑफलाइन
8.	256वीं बैठक	7 जनवरी, 2024	ऑनलाइन
9.	257वीं बैठक	15 फरवरी, 2024	ऑफलाइन
10.	258वीं बैठक	28 मार्च, 2024	हाइब्रिड

### 2. वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद्, अधिनियम की धारा 25 के तहत उस व्यक्ति को एक वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत करती है, जो भारत में निवास करता है अथवा वास्तुविद का व्यवसाय करता है और जिसके पास वास्तुकला की मान्यताप्राप्त योग्यता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदन तथा शुल्क ऑनलाइन के साथ—साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने 13812 योग्य व्यक्तियों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 के अनुसार कुल 169897 वास्तुविदों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2024 को वैध पंजीकरण धारक 109283 वास्तुविदों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

	राज्यों / केंद्र शासित	01.04.2023 से 31.03.2024 तक की	31.03.2024 के	31.03.2024 के अनुसार वैध
क्रमांक	प्रदेशों के नाम	अवधि में पंजीकृत वास्तुविद	अनुसार पंजीकृत	नवीनीकरण के साथ सक्रिय
			कुल वास्तुविद	वास्तुविद
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	01	58	35
2.	आंध्र प्रदेश	298	2796	1800
3.	अरुणाचल प्रदेश	07	103	69
4.	असम	77	1112	823
5.	बिहार	112	1372	1004

6.	56 एपीओ	00	02	01
7.	99 एपीओ	00	01	01
8.	चंडीगढ़	34	1120	658
9.	छत्तीसगढ़	137	1541	993
10.	दादरा एवं नगर हवेली	08	44	32
11.	दमन एवं दीव	04	57	40
12.	दिल्ली	476	13703	7839
13.	गोवा	46	1087	718
14.	गुजरात	802	10706	6803
15.	हरियाणा	373	6247	4416
16.	हिमाचल प्रदेश	94	869	632
17.	जम्मू एवं कश्मीर	56	547	382
18.	झारखंड	54	846	553
19.	कर्नाटक	1168	12725	7766
20.	केरल	1661	11084	7821
21.	लद्दाख	04	15	14
22.	लक्षद्वीप	00	05	01
23.	मध्य प्रदेश	391	4756	3026
24.	महाराष्ट्र	3730	45728	28978
25.	मणिपुर	17	192	139
26.	मेघालय	07	201	139
27.	मिजोरम	27	167	146
28.	नागालैंड	11	117	71
29.	ओडिशा	142	1762	1194
30.	पुड्डूचेरी	45	386	251
31.	पंजाब	227	3277	2173
32.	राजस्थान	231	3604	2367
33.	सिक्किम	15	130	90
34.	तमिलनाडु	1976	20735	12963
35.	तेलंगाना	530	6274	3896
36.	त्रिपुरा	04	68	46
37.	उत्तर प्रदेश	758	11607	8190
38.	उत्तराखंड	73	1324	931
39.	पश्चिम बंगाल	216	3529	2282
	कुल	13812	169897	109283

### 3. वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण:

अवधि (01.04.2023 से 31.03.2024) के दौरान परिषद् ने वार्षिक आधार पर 29545 वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया है और 8239 वास्तुविदों ने एकमुश्त नवीनीकरण का विकल्प चुना है और 8521 वास्तुविदों ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद वास्तुविदों की पंजिका में पुनः अपना नामांकन कराया है।

4. वैध पंजीकरण धारक वास्त्विदों को नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र जारी करना :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने निम्न वास्तुविदों को उनके विद्यमान प्रमाणपत्रों के समर्पण के बाद नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र निःशुल्क जारी किये हैं :

1. विद्यमान पंजीकृत वास्तुविद : 06506

2. नवीन पंजीकृत वास्त्विद : 13812

5. वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट अनुमान :

परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने 28 अप्रैल 2023 को आयोजित अपनी 249वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023—2024 के बजट अनुमान, रु. 3649.37 लाख की प्राप्य आय के समक्ष रु. 2633.28 लाख के आवर्ती व्यय तथा रु. 1016.00 लाख के अनावर्ती व्यय, को अनुमादित किया।

6. आय कर विभाग, भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास को मान्यता प्रदान करना :

परिषद् ने आय कर विभाग, भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास को मान्यता प्रदान करने के लिये आय कर विभाग के पास अनिवार्य आवेदन / प्रलेख प्रस्तुत किये हैं। इस संबंध में उक्त विभाग के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

7. 01.07.2012 से 30.06.2017 तक की समयाविध में वास्तुकला परिषद् द्वारा संग्रहीत सांविधिक शुल्कों एवं प्रभारों पर सेवा कर के अधिरोपण के विरुद्ध परिषद् द्वारा प्रस्तुत अपील :

परिषद् ने सेवा कर प्रधान आयुक्त, दिल्ली—।। द्वारा निर्गत वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75, 76, 77 व 78 के अंतर्गत ब्याज एवं दंड के अतिरिक्त, सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं एचएसईसी तथा प्राप्त / प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के रूप में रु. 1,73,60,950 /— की राश की मांग के समक्ष रु. 17,36,095 /— की एक राश जमा करके सं. एसटी / 53090 ऑफ 2016—डीबी धारक एक अपील दिनांकित 15.12.2016 प्रस्तुत की है।

- 1. 01.07.2012 से 31.03.2013 की अवधि हेतु रु. 29,01,463 / -,
- 2. 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि हेतु रु. 58,41,183 / तथा
- 3. 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि हेतु रु. 86,18,304/-

इसके अतिरिक्त, परिषद ने 01.08.2022 को सं. एसटी /5194/2022—सीयू (डीबी) धारक एक अन्य अपील भी प्रस्तुत की है, जिसमें सेवा कर मांग की पूर्व—जमा (अग्रिम) के रूप में रु. 19,03,860/—, अर्थात् कुल मांग का 7.5% और वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के तहत अनिवार्य पूर्व—जमा, जमा किये गये हैं। वर्षवार सेवा कर मांग नीचे दी गई है:

- 1. 01-4-2015 से 31-03-2016 की अवधि हेतु रु. 69,16,284/- और
- 2. 01-04-2016 से 30-06-2017 की अवधि हेतु रु. 1,84,68,492/-

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष अनेक सुनवाइयाँ हुईं। उपर्युक्त अपील के प्रकरणों के संदर्भ में अनेक आदेश न्यायाधिकरण द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं। अंतिम देयता, यदि कोई हो, सेवाकर विभाग द्वारा परिषद के प्रत्युत्तर के अंतिम निस्तारण के समय निर्धारित की जायेगी।

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नित विनियमावली, 1999 में संशोधन :

परिषद् ने बढ़े हुये कार्यभार के निस्तारण के लिये परिषद् में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियमावली, 1999 में संशोधन करने के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

9. वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन :

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनावों के संचालन हेतु श्री एम. एल. सोनी, निदेशक, उच्चतर शिक्षा भाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। चुनावों का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को किया गया था। प्रोफे. अभय विनायक पुरोहित को वास्तुकला परिषद् का अध्यक्ष तथा वास्तुविद गजानंद राम को उपाध्यक्ष चुना गया था।

### 10. अकादिमक सत्र 2023-2024 हेतु वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन :

वास्तुकला परिषद् ने अकादिमक सत्र 2023—2024 के दौरान उन 379 संस्थानों के अनुमोदन का विस्तार स्वीकार किया है जो देश में मान्यताप्राप्त वास्तुकला योग्यतायें प्रदान कर रहे हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, वास्तुकला रनातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये 08 नवीन संस्थानों के अनुमोदन स्वीकृत किये गये थे तथा रनातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये 10 विद्यमान संस्थानों के अनुमोदन स्वीकार किये गये थे। संस्थानों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार सूचीबद्ध है:

राज्य	संस्थानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	8
असम	2
बिहार	2
छत्तीसगढ़	2
चंडीगढ़	1
दिल्ली	8
गोवा	1
गुजरात	22
हिमाचल प्रदेश	2
हरियाणा	14
झारखंड	1
जम्मू एवं कश्मीर	4
कर्नाटक	43
केरल	32
महाराष्ट्र	83
मेघालय	1
मध्य प्रदेश	14
मिजोरम	1
ओडिशा	7
पंजाब	14
पुड्डुचेरी	1
राजस्थान	12
तमिलनाडु	58
तेलंगाना	13
उत्तराखंड	3
उत्तर प्रदेश	22
पश्चिम बंगाल	8
कुल	379

इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों में बी. आर्क. पाठ्यक्रम में 30% से कम सीटें न भरने अथवा परिषद् के अनुमोदन हेतु आवेदन जमा न करने कारण, अकादिमक सत्र 2023—2024 के दौरान 39 संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे।

11. वास्तुकला सहायकवृत्ति (आर्किटेक्चरल एसिसटेंटशिप) में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम(मों) के अनुमोदन की स्वीकृति :

अकादिमक सत्र 2023—2024 के दौरान, परिषद् ने वास्तुकला / वास्तुकला सहायकवृत्ति में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं आंतिरिक अभिकल्पना में डिप्लोमा प्रदान करने के लिये 16 नवीन डिप्लोमा संस्थानों का अनुमोदन तथा 80 संस्थानों का अनुमोदन विस्तार स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने वास्तुकला / वास्तुकला सहायकवृत्ति में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा आतंरिक अभिकल्पना में डिप्लोमा आरंभ करने के लिये 40 विद्यमान बी. आर्क. संस्थानों का अनुमोदन स्वीकृत किया है।

- 12. अकादिमिक सत्र 2023—2024 हेतु पांच वर्षीय बी. आर्क. उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा का संचालन : परिषद्, 5—वर्षीय बी. आर्क. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ एक एकल खिड़की परीक्षा के रूप में, प्रति वर्ष वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (नाटा) संचालित कर रही है। नाटा 2023 का वर्ष 2023 में चार बार संचालन किया गया था। प्रथम परीक्षा का संचालन 21.04.2023 को, द्वितीय परीक्षा का संचालन 03.06.2023 को, तृतीय परीक्षा का संचालन 09.07.2023 को तथा चतुर्थ परीक्षा का संचालन 17.09.2023 को किया गया था। कुल 29539 विशिष्ट अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिये पंजीकरण कराया तथा 22234 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुये। कुल उपस्थित अभ्यर्थियों में से 21003 विशिष्ट अभ्यर्थियों ने नाटा परीक्षा उत्तीर्ण की।
- 13. ओम मुक्दराव नगरकर के विरुद्ध आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर का पंजीकरण :

परिषद् को श्री ओम मुकुंदराव नगरकर से समस्त आवश्यक प्रलेखों (स्व—प्रमाणित) के साथ एक आवेदन दिनाँकित 13.12.2020 प्राप्त हुआ था तथा तद्नुसार उन्हें पंजीकरण सं. सीए/2020/126097 स्वीकृत किया गया था तथा श्री ओम नगरकर को 22.12.2020 को पंजीकरण स्वीकृति के बारे में ईमेल के माध्यम से सिस्टम द्वारा उत्पन्न सूचना भी प्रेषित की गई थी।

दिनांक 29 दिसंबर 2020 को रिजस्ट्रार, सीओए को वास्तुविद अरशद शेख, अध्यक्ष, आईआईए, अहमदनगर केंद्र की ओर से श्री ओम मुकुंदराव नगरकर के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेख था कि उन्होंने 2006 में अहमदनगर में स्थित एक खायत्तशासी संस्थान से इंटीरियर में दो वर्षीय पोस्ट मेट्रिक डिप्लोमा किया हुआ था। तदाविध से वह अहमदनगर में आंतरिक अभिकल्पक (इंटीरियर डिजाइनर) के रूप में व्यवसायरत् हैं। यह भी सूचित किया गया था कि श्री ओम मुकुंदराव नगरकर ने किसी भी वास्तुकला महाविद्यालय में वास्तुकला शिक्षा प्राप्त नहीं की है तथा अतः वह एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण हेतु योग्य नहीं हैं। परिषद् द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रोक दिया गया था तथा श्री ओम मुकुंदराव नगरकर को परिषद् के पास सत्यापनार्थ मूल प्रलेख प्रस्तुत करने को कहा गया था। हालाँकि उनके द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। परिषद् ने श्री ओम नगरकर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेख रिजस्ट्रार, शिवाजी महाविद्यालय, कोल्हापुर को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कर दिये थे कि वे उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेख रिजस्ट्रार, महावाजी महाविद्यालय, कोल्हापुर को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कर दिये थे कि वे उसके द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों की अभ्यर्थिता तथा प्रामाणिकता का सत्यापनार्थ प्रलेख अग्रसारित किये थे। प्रिंसिपल, श्री वी. बी. पाटिल ट्रस्ट के अप्पासाहेब बिरनाले वास्तुकला महाविद्यालय, संगली, महाविद्यालय, संगली ने पत्र दिनांकित 27.03.2021 के माध्यम से परिषद् को सूचित किया था कि ओम मुकुंदराव नगरकर शिवाजी महाविद्यालय, कोल्हापुर के एक वास्तविक विद्यार्थी नहीं हैं। परिषद् ने श्री ओम नगरकर के विरुद्ध लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में एफआईआर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने घोखाधड़ी से, त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति द्वारा तथा वास्तविक तथ्यों को गुप्त रखकर भारत सरकार का एक संवैधानिक प्राधिकरण के पास अनुचित / नकली प्रलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करके परिषद् से पंजीकरण प्राप्त किया है।

लेकिन परिषद् द्वारा बारंबार किये गये अनुरोधों के उपराँत भी, एसएचओ लोधी कॉलोनी पुलिस कार्यालय ने प्रकरण में एफआईआर (प्राथमिक शिकायत) पंजीकृत नहीं की गई। परिषद् ने ओम मुकुंदराव नगरकर के विरुद्ध सीआर. पी. सी. की धारा 156(3) के अंतर्गत एफआईआर के पंजीकरण हेतु निर्देश निर्गतार्थ सक्षम न्यायालय के समक्ष एक अवेदन प्रस्तुत किया। माननीय महानगरीय न्यायाधिकारी, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली ने आदेश दिनांकित 06.02.2023 के माध्यम से एस.एच.ओ. लोधी कॉलोनी, पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वे आदेश की तिथि से पाँच सप्ताहों की समयाविध में विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करें। इसके बाद अब इस प्रकरण में एफआईआर पंजीकरण करके कार्रवाई की जा रही है।

14. केंद्र सरकार तथा वास्तुकला परिषद् के सदस्यों एवं अधिकारियों की मानहानि करने व उन्हें अपशब्द कहने के लिये हरीश के. बजाज के विरुद्ध कार्रवाई : परिषद् के सदस्यों, केंद्र सरकार तथा परिषद के अधिकारियों को हरीश के. बजाज की ओर से अपशब्दों व असंसदीय भाषा युक्त ईमेल्स एवं आरटीआई आवेदन प्राप्त हो रहे थे। उन्हें ऐसा असंसदीय एवं मानहानिजनक संचार करने से रोकने हेतु परिषद् के अधिवक्ता द्वारा विधिक सूचना भी निर्गत की गयी थी। लेकिन हरीश के. बजाज ऐसी सूचना भेजे जाने के बाद भी अपनी अवैध गितविधियाँ करते रहे। इसके बाद परिषद् ने हरीश के. बजाज के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करने के लिये पुलिस आयुक्त तथा एसएचओ, लोधी कॉलोनी पुलिस कार्यालय के पास इस संदर्भ में एक शिकायत प्रस्तुत की। परंतु दिल्ली पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। परिषद् ने उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा एवं आपराधिक मानहानि का एक वाद प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने परिषद् के पक्ष में निर्णय किया तथा श्री हरीश के. बजाज पर परिषद् के कार्यालय में जाने अथवा परिषद् के सदस्यों एवं मंत्रालय व परिषद् के अधिकारियों को कोई भी मानहानिजनक संचार भेजने के लिये प्रतिबंध लगा दिया।

15. समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा—दीवारों का अभिकल्पना (डिजाइन) / सौंदर्यीकरण हेतु एनएचएआई की अभिकल्पना विचार पितरोगिता :

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा—दीवारों की अभिकल्पना (िडजाइन) / सौंदर्यीकरण हेतु एक विचार अभिकल्पना प्रतियोगिता की घोषणा की है। परिषद् द्वारा प्रतियोगिता का संचालन अपने ''सामर्थ्य'' पोर्टल पर किया गया था। निर्णायक—मंडल (जूरी) का प्रतिवेदन / संस्तुतियाँ एनएचएआई को प्रेषित कर दी गयी हैं।

- 16. एनएचएआई द्वारा धौला कुँआ मार्ग, नई दिल्ली पर प्रतिष्ठित संरचना हेतु की अभिकल्पना (डिजाइन) विचार प्रतियोगिताः
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने धौला कुँआ मार्ग, नई दिल्ली पर प्रतिष्ठित संरचना हेतु की अभिकल्पना (िडजाइन) विचार प्रतियोगिता की घोषणा की है। परिषद् द्वारा प्रतियोगिता का संचालन अपने ''सामर्थ्य' पोर्टल पर किया गया था। निर्णायक—मंडल (जूरी) का प्रतिवेदन/संस्तुतियाँ एनएचएआई को प्रेषित कर दी गयी हैं।
- 17. आवासन एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारतीय शासन की ओर से वास्तुकला परिषद् द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0—अर्बन के अंतर्गत संचालित ''टॉयलेट्स'' हेतु अभिकल्पना (डिजाइन) विचार प्रतियोगिता :

परिषद् ने आवासन एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारतीय शासन की ओर से स्वच्छ भारत मिशन 2.0—अर्बन के अंतर्गत ''टॉयलेट्स'' हेतु अभिकल्पना (डिजाइन) विचार प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन किया है। विजेताओं को मंत्रालय द्वारा वास्तुकला परिषद् के माध्यम से पुरस्कारिक धनराशि अर्पित की गयी है।

18. परिषद् द्वारा विभिन्न समस्याओं पर अनेक राज्य शासनों / स्थानीय प्राधिकरणों को प्रेषित सूचना-संचार :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में, वास्तुविदों से अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर परिषद् ने स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुकला का व्यवसाय करने के लिये वास्तुविदों के पंजीकरण तथा वास्तुकला पदों पर अ—वास्तुविदों की नियुक्ति, इत्यादि से संबंधित समस्याओं पर निम्नलिखित प्राधिकरणों को लिखित में सूचित किया है। समस्याओं के विवरण जिम्नानुसार प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	प्राधिकरण	विषय / समस्या
1.	मुख्य सचिव, केरल सरकार	ऑनलाइन पोर्टल पर वास्तुविदों का पंजीकरण/अनुज्ञप्तिकरण (लाइसेंसिंग)
2.	मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग गुजरात सरकार	ऑनलाइन पोर्टल पर वास्तुविदों का पंजीकरण / अनुज्ञप्तिकरण (लाइसेंसिंग)
3.	समस्त मुख्य सचिवों को	मुख्य वास्तुविद, लोनिवि के कार्यालय में भर्ती नियमावली में संशोधन
4.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा आयुक्त, शिमला नगर निगम	पीआईओ सह वास्तुविद नियोजक, एम. सी. शिमला के पद पर अ—वास्तुविद की नियुक्ति
5.	माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना सरकार को पत्र	तेलंगाना राज्य भवन में भवन निर्माण हेतु स्वामियों द्वारा स्व—प्रमाणन का अनुमति अनुमोदन
6.	इटली का दूतावास, नई दिल्ली	इटली में अभ्यास करने के लिये अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गतनार्थ एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण की अमान्यता।

19. परिषद् द्वारा वास्तुविदों के चयन / नियुक्ति पर विभिन्न शासकीय विभागों / उपक्रमों को प्रेषित सूचना-संचार :

परिषद् ने, वास्तुकला परिषद् के प्रतिस्पर्झी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा परिषद् द्वारा निर्धारितानुसार शुल्कों के भुगतान पर वास्तुविद नियुक्त करने हेतु अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणों को लिखा है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में, परिषद् ने निम्नलिखित संगठनों से वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति के लिय परिषद् के प्रतिमानकों का अनुसरण करने का अनुरोध किया है :

- 1. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
- 2. एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई तथा पूड्चेरी सरकार के शासकीय सचिव
- 3. इंडियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी
- 4. तमिलनाड् शासन
- 5. महाराष्ट्र इकोटूरिज्म विकास बोर्ड
- 6. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार
- 7. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

- 8. इंदौर स्मार्ट सिटी कार्यालय, इंदौर
- 9. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
- 10. उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन निगम, लखनऊ
- 11. मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन (उत्तराखंड वन विभाग), उत्तराखंड सरकार
- 12. नांदेड वाघला सिटी नगर निगम तथा जनपदाधिकारी का कार्यालय, वजीराबाद, नांदेड
- 13. जनपदाधिकारी, यवतमाल तथा नगर परिषद यवतमाल
- 14. जनपदाधिकारी तथा मजिस्ट्रेट कलेक्टर कार्यालय, हिंगोली तथा नगर परिषद कार्यालय
- 15. कार्यपालक अभियंता लोनिवि (आर एंड बी) प्रभाग, उधमपुर का कार्यालय
- 16. स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, पुणे
- 17. कार्विन डिजाइन कंसल्टेंट्स, मदुरै
- 18. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, कैसल हिल्स, हैदराबाद
- 19. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार
- 20. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, शिमला
- 21. इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- 22. मैसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड
- 23. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटि, हैदराबाद
- 24. उत्तर प्रदेश शासन तथा आगरा विकास प्राधिकरण
- 25. यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश शासन
- 26. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार
- 27. कार्यपालक अभियंता, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई
- 28. उत्तराखंड पेयजल निगम
- 29. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण
- 30. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
- 31. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार
- 32. उप सचिव (एनआईटी / सीओए / एसपीए), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 33. नगर एवं राष्ट्र नियोजन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड
- 34. धोलेरा इंडस्ट्री सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात
- 35. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल शासन तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
- 36. औरंगाबाद आवासन एवं क्षेत्रीय विकास बोर्ड, कलानगर
- 37 झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
- 38. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, लोधी रोड, नई दिल्ली
- 39. मार्ग तथा भवन विभाग, तेलंगाना सरकार
- 40. नगर नियोजक संस्थान, नई दिल्ली
- 20. वास्तुविद अधिनियम 1972 में संशोधन : परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 37 में संशोधन के लिये केंद्रीय शासन के पास एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य अयोग्य एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों को वास्तुकला का अभ्यास करने से प्रतिबंधित करना है। अध्यक्ष, सीओए ने प्रस्तावित संशोधनों पर अग्रकर्म करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री से भी भेंट की है। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अपनी 79वीं (आकरिमक) बैठक में, वास्तुविद अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन करने हेतु निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया है:
  - i) ''वास्तुकला सेवाओं'' की परिभाषा का परिचय ताकि इन सेवाओं को वास्तुविदों हेतू आरक्षित किया जा सके;
  - स्वतंत्र रूप में अभ्यास करने के लिये व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले वास्तुविदों की योग्यतायें सुनिश्चित करने व्यावसायिक अभ्यास परीक्षा का आरंभ;
  - iii) वास्तुविदों को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दायित्व से बचाने तथा एक पृथक विधिक निकाय के साथ संगठन का न्यून जटिल स्वरूप अपनाने के लिये, वास्तुविदों द्वारा वास्तुकला सेवायें उपलब्ध कराने हेतु संगठन के एलएल.पी. फॉर्म का आरंभ;

- iv) मान्यताप्राप्त योग्यता के लिये दो अनुसूचियों का आरंभ—एक, पूर्वस्नातक योग्यताओं के लिये तथा द्वितीय, स्नातकोत्तर योग्यताओं के लिये, तािक एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण हेतु आवश्यक योग्यता तथा अतिरिक्त योग्यताओं में अंतर किया जा सके और पीजी योग्यताओं को अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जा सके;
- v) वास्तुकला परिषद् के नाम में ''इंडिया'' शब्द का उल्लेख आरंभ करना, ताकि परिषद् को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान प्राप्त हो सके।
- vi) अधिमात्रा में आंकड़ा की सुरक्षा एवं आर्थिक संरक्षण के लिये तथा सभी संबंधित व्यक्तियों / संस्थानों तक इसकी सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वास्तुविदों की पंजिका की "इलेक्ट्रॉनिक" प्रतियां अनुरक्षित करने के लिये।
- vii) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सार्वजनिक भवनों का निर्माण अत्यधिक सौंदर्यपरक एवं कार्यगत विधि से पूर्णरूपेण व्यावसायिक सहयोग के साथ किया जाता है, शासकीय विभागों में वास्तुकला पदों पर केवल एक वास्तुविद की नियुक्ति।
- viii) अ-वास्तुविदों द्वारा वास्तुकला सेवायें उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगाना।
- ix) स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुविदों के भावी पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाना, ताकि वास्तुविदों को व्यवसाय के अभ्यास हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय में पंजीकरण कराने के लिये विवश न होना पड़े।
- x) वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार हेतु प्रस्तुत शिकायतों पर परिषद् द्वारा शुल्क प्रभारीकरण के प्रावधान बनाना।
- 21. अकादमिक सत्र 2023–2024 के बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ योग्यता मानदंड में संशोधन :

परिषद् ने केंद्रीय शासन के अनुमोदन द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुशिक्षा के न्यूनतम मानक) नियमावली 2020 के अंतर्गत बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ निर्धारित योग्यता में संशोधन किया है, जो निम्नानुसार संशोधित है :

- 4(1) "िकसी भी अभ्यर्थी को वास्तुकला पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने भौतिकी तथा गणित जैसे अनिवार्य विषयों के साथ तथा या तो रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या तकनीकी व्यावसायिक विषय या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचनागत अभ्यास या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या व्यावसायिक अध्ययन सहित न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10 + 2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न की हो अथवा न्यूनतम कुल 45% अंकों के साथ गणित जैसे अनिवार्य विषय के रूप में 10 + 3 डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण न की हो"।
- (2) "अभ्यर्थी को एनटीए (अर्थात् जेईई या वास्तुकला परिषद द्वारा आयोजित एनएटीए) द्वारा आयोजित वास्तुकला में किसी अभिक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा।"
- 22. व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें : वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 22 एवं 30, परिषद् को व्यावसायिक कदाचार के लिये वास्तुविदों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देती है। केंद्र सरकार ने ऐसी शिकायतों को निपटाने हेतु निर्धारित की गईं प्रक्रियाएं वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में बनाई है। प्रतिवेदनाधीन समयाविध में परिषद् ने वास्तुविदों के विरुद्ध 35 नवीन शिकायतें प्राप्त कीं। वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के अनुसरण में, केंद्रीय शासन ने परिषद् द्वारा संदर्भितानुसार किथत व्यावसायिक कदाचार के लिये वास्तुविदों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने हेतु गजट अधिसूचना द्वारा समय—समय पर अनुशासनपरक समिति का गठन किया है। समिति की सदस्यता में एक रिक्ति के कारण अनुशासनपरक समिति की कोई भी बैठक नहीं की जा सकी है। केंद्र सरकार, अनुशासनपरक समिति की पुनर्स्थापना करने के लिये समुचित अधिसूचना निर्गत करने की प्रक्रिया में है। अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसरण में, परिषद् ने 02—09—2023 को आयोजित अपनी 80वीं बैठक में, सुनवाई का अवसर देने के बाद, निम्नलिखित आदेश पारित किये :
  - 1. वास्तुविद सुहास महंत, मुंबई 6 माह की एकाविध के लिए एक वास्तुविद के रूप में अभ्यास करने से निलंबित। 2. वास्तुविद सुरेंद्र सिंह, गाजियाबाद — 12 माह की एकाविध के लिए एक वास्तुविद के रूप में अभ्यास करने से निलंबित।
- 23. विदेशी योग्यताओं की मान्यता पर समिति : वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 15 के अनुसरण में, केंद्र सरकार वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों हेतु वास्तुकला परिषद् के साथ परामर्श करने के बाद विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने के लिये सशक्त है। परिषद् ने केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने तथा इनका प्रतिवेदन बनाने के लिये एक समिति गठित की है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में, परिषद् को वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत विदेशी वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता पर परिषद् से परामर्शन करने हेतु 04 नवीन संदर्भ प्राप्त हुये हैं। इसके बाद, समिति की 02 बार बैठकें हुईं तथा इसने केंद्र सरकार से प्राप्त प्रकरणों पर विचार—विमर्श किया तथा अपना पूर्ण प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया।

- 24. वास्तुविदों के रूप में मिथ्या प्रस्तुतिकरण करनेवाले मिथ्या—वास्तुविदों (क्वैक्स) के विरुद्ध शिकायतें : वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 36 एवं 37, वास्तुविद के नाम एवं शैली के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाती हैं तथा यदि कोई व्यक्ति वास्तुविद के नाम एवं शैली का दुरुपयोग करता है अथवा स्वयं को एक वास्तुविद के रूप में अवैध ढंग से प्रस्तुत करता है, तो उस पर इस अपराध के लिये रु. 500/— का अर्थदंड लगाया जायेगा। प्रतिवेदनाधीन समयाविध में, परिषद् को 81 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अ—वास्तुविदों द्वारा वास्तुविद अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था तथा प्रकरण में परिषद् द्वारा समुचित कार्रवाई की गई है।
- 25. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना का संप्रेषण :

आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, परिषद् में जन सूचना अधिकारी हैं तथा श्री राज कुमार ओबराय, रिजस्ट्रार, परिषद् में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। प्रतिवेदनाधीन समयाविध में, परिषद् ने 108 आरटीआई आवेदनों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई तथा आरटीआई अधिनियम के अनुसार 14 प्रथम अपीलों का समाधान किया। परिषद् ने आरटीआई आवेदनों तथा उत्तरवर्ती अपीलों की संख्या घटाने के लिये पब्लिक डोमेन में अधिक से अधिक जानकारी प्रसारित करने के प्रयास किये हैं।

### 26. न्यायालयी प्रकरण :

प्रतिवेदनाधीन समयाविध में, परिषद् ने वास्तुविद अधिनियम 1972 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली के अनुरूप निम्नलिखित नवीन न्यायालयी प्रकरणों का प्रबंधन किया गया था :

			I AA-	<del></del>
क्र.स.	नाम	न्यायालय	विचारित	वर्तमान स्थिति
			समस्या	
1	। 1. सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार	भारत का सर्वोच्च	बी. आर्क. पाट्यक्रम में	निस्तारित
1	एसएलपी (सिविल) संख्या ००२२३० ऑफ २०२३	न्यायालय	विलंबित प्रवेश	PIXIIIXI
	इसरेलपा (सिपल) संख्या 002230 आफ 2023	<b>न</b> ्यायालय	।पलाबत प्रपश	
	रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद			
	विरुद्ध पलक दीक्षित और अन्य			
2	2. डोबरिया मोहित रमणिकल	दिल्ली उच्च न्यायालय,	विदेशी पीजी वातुकला	लंबित
2	विरुद्ध भारतीय संघ एवं अन्य के प्रकरण में	नई दिल्ली	उपाधि पाठ्यक्रम की	
	रिट याचिका सिविल संख्या ४१०० ऑफ २०२३	IQ TACCII	मान्यता	
	ारेट जानवर्ग स्थावरा संस्था माठठ जान 2025		11 9(11	
	0			निस्तारित
3	3. रिट याचिका संख्या ३९३६ ऑफ २०२३	उच्च न्यायालय, बॉम्बे	स्थल परिवर्तन और नई	निस्तारित
	स्टूडेंट्स एकेडमिक एजुकेशन सोसायटी		बिलिंडग में महाविद्यालय	
	विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य और अन्य	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	आरंभ करने के संबंध में	.0
4	सोहन लाल सहारन	केंद्रीय प्रशासनिक	याचिकादाता की पदोन्नति	लंबित
	विरुद्ध	अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ	अस्वीकार	
	प्रशासक चंडीगढ़ प्रशासन			
	केंद्रीय प्रशासनिक, अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ			
	ओए संख्या 0060 / 368 / 2023			
5	हरीश बजाज विरुद्ध वास्तुकला परिषद	साकेत न्यायालय,	प्रतिवादी को परिषद् के	अगला
	शिकायत प्रकरण सं. — ऑफ 2023	दिल्ली	सदस्यों को अपमानित	न्यायविमर्श 9
	स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा		करने से रोकने हेतु	जुलाई 2024 को
	के लिये वाद			
6	रिट याचिका संख्या : 13546 ऑफ 2023,	उच्च न्यायालय, आध्र	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय	लंबित
	और डब्ल्यू.पी. संख्या 13546 ऑफ 2023,	प्रदेश, अमरावती	को मानित करने की	
	जोसेफ श्रीहर्षा और	,,	स्थिति के संबंध में	
	मैरी इंद्रजा एजुकेशनल सोसाइटी			
	विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य			
	4 6			
7	साल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर	गुजरात उच्च न्यायालय	बी. आर्क. पाठ्यक्रम करने	लंबित
'	विरुद्ध पियाम जिग्नेश दवे	3-100 3-4 4141014	अन्य संस्थान में	
	एलपीए 8052/2023		स्थानातरण और पूर्व	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		संस्थान द्वारा पूर्ण शुल्क	
			लेने के संबंध में	
			ला प्रतापप ग	
				1

श्री सिद्दी ज्ञान साई अक्षय पुत्र सूर्य प्रकाश   उच्च न्यायालय, याचिकादाता को निष्कासि करना   हैदराबाद करना	ने निस्तारित
रिट याचिका संख्या 12373 ऑफ 2023 तेलंगाना  9 डब्ल्यू.ए. सं. 150 / 2023 उच्च न्यायालय, वास्तुकला पाठ्यक्रम चला इनामुल हसन विरुद्ध गुवाहाटी, असम के लिये परिषद् में धरोहर राशि जमा करने के संबंध में	
9 डब्ल्यू.ए. सं. 150/2023 उच्च न्यायालय, वास्तुकला पाठ्यक्रम चला इनामुल हसन विरुद्ध वास्तुकला परिषद्, अन्य उच्च न्यायालय, गुवाहाटी, असम के लिये परिषद् में धरोहर राशि जमा करने के संबंध	
इनामुल हसन विरुद्ध गुवाहाटी, असम के लिये परिषद् में धरोहर वास्तुकला परिषद्, अन्य में	
वास्तुकला परिषद्, अन्य राशि जमा करने के संबंध में	
† †	
10 डब्लू.पी. संख्या 18127 ऑफ 2023 उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय और	लंबित
पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश, वास्तुविद् के मध्य उत्पन्न	ļ.
विरुद्ध वास्तुकला परिषद् जबलपुर विवादों के न्यायनिर्णयन	<u> </u>
हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति व	ָל <u>ָ</u>
संबंध में	ļ
11 डब्लू.पी. संख्या 16693/2023 उच्च न्यायालय, याचिकादाता को वृंदावन	लंबित
शरण देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव, कर्नाटक, बेंगलुरु महाविद्यालय, बेंगलुरु में	ļ
शासन, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल के पद से हटान	ļ ļ
बेंगलुरु और अन्य	ļ.
12 सुश्री भव्या सोलंकी उच्च न्यायालय, आई.पी. विश्वविद्यालय द्वा	
विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह दिल्ली, नई दिल्ली याचिकादाता को परीक्षा मे	
इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और अन्य उपस्थित होने की अनुमित	•
डब्ल्यूपी (सी) 13711 ऑफ 2023 देने से मना करना	ļ
13 मनसरन जी उच्च न्यायालय, बी. आर्क. पाठ्यक्रम में	लंबित
विरुद्ध भारतीय संघ एवं अन्य केरल प्रवेश की पात्रता	
डब्ल्यूपी (सी) संख्या ४३६८२ वर्ष २०२३	
14 डब्ल्यू.पी. संख्या २७७०८ वर्ष २०२३ (एस–आरईएस) उच्च न्यायालय, याचिकादाता को	लंबित
शरण देसाई, एम. आर्क., यूएसए विरुद्ध प्रधान सचिव, कर्नाटक, प्रधानाचार्य के पद से	
शासन, उच्चतर शिक्षा बेंगलुरु हटाने के राज्य सरकार वे	5
विभाग, बेंगलुरु और अन्य निर्णय को यथावत रखने	
को चुनौती देना	ļ

परिषद् ने वास्तुविद अधिनियम 1972 के उल्लंघन के लगभग कुल 80 प्रकरण फालबद्ध किये, जिनमें आपराधिक शिकायतें सम्मिलित हैं, तथा जो विधि—व्यवस्था के अनेक न्यायालयों में लंबित हैं।

27. वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 3(3)(एफ) के अंतर्गत परिषद् के एक सदस्य के नामांकन हेतु मानदंड स्थापित करना :

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, 2021 की समादेश याचिका सं. 16114 में अपने आदेश दिनांकित 08.01.2023 से अनुच्छेद 16 (iii) में निम्नानुसार आदेशित किया है :--

"भारतीय संघ, नियमावली के अंतर्गत योग्यता एवं अनुभव के आधार पर परिषद् के सदस्यों के नामांकन हेतु निश्चित मानदंड अधिसूचित करने के उपक्रम करेगा, जो कि जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक राज्य के शासन के लिये बाध्यकारी होंगे।"

परिषद् ने इस प्रकरण में शिक्षा मंत्रालय के समक्ष अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं तथा वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में समुचित संशोधन किये जाने शेष हैं।

28. बी. आर्क. पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के विषय का आरंभ : वास्तुकला शिक्षा के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का निदान करने के क्रम में, वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने वास्तुकला संस्थानों में पाठ्यक्रम की अध्ययन—सूची में समुचित परिवर्तन के सुझाव देने हेतु वास्तुकला परिषद् की सहायता करने हेतु एक उप—सिमति का गठन किया है, जिसमें वास्तुविद विशाल व्यास, संयोजक के रूप में, प्रोफे. प्रसाद वैद्य, सदस्य, प्रोफे. अशोक बी. लाल, सदस्य, वास्तुविद संदीप शिकरे, प्रोफे. हिना जिया, सदस्य, प्रोफे. राजीव मिश्रा, सदस्य, डॉ. विजयलक्ष्मी अय्यर, सदस्य, डॉ. आनंद अचारी, सदस्य, प्रोफे. सुरेश मूर्ति, सदस्य, वास्तुविद स्वाति पुचलपल्ली, सदस्य के रूप में सिम्मिलत हैं। सिमिति द्वारा की गईं संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा समस्त वास्तुकला संस्थानों को निर्देश दे दिया गया है कि वे अपने पाठ्यक्रम की अध्ययन—सूची में जलवायु परिवर्तन का विषय सिम्मिलत करें।

- 29. विभिन्न विभागों / संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन : वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में परिषद् ने बीईई, जीआरआईएचए, आईपीए, आईजीबीसी, एसईपीसी, डीईपीडब्ल्यूडी, इत्यादि के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किये हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में परिषद् ने वास्तुविदों द्वारा विकिसत ऊर्जा कार्यकुशल विधियों एवं तकनीकों के संवर्द्धन हेतु 20.05.2023 को एलियांस फॉर एन एनर्जी एफिसिएंट इकोनोमी (एईईई) तथा वास्तुविदों एवं अन्य हितधारकों के मध्य संधारणीय क्षेत्र से संबंधित ज्ञान प्रसारित करने हेतु 03.08.2023 को सेंटर फॉर ग्रीन बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नोलोजी (सीजीबीएमटी) के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया है।
- 30. विदेशी प्राधिकरणों / प्राधिकारियों द्वारा भारतीय वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु पारस्परिक मान्यता अनुबंध :

परिषद्, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता एवं समर्थन द्वारा विदेशों में भारतीय वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु यूके, ऑस्ट्रेलिया तथा यूएस के प्राधिकारियों के साथ सिक्रय पत्राचार कर रही है। परिषद् की कार्यकारिणी सिमिति ने 02.06.2023 को आर्किटेक्ट्स रिजस्ट्रेशन बोर्ड (एआरबी), यूके के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इसके उपराँत, भारतीय वास्तुविदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लंदन डिजाइन वीक की अपनी यात्रा की समयाविध में 27.06.2023 को लंदन में एआरबी के साथ एक बैठक की। इस प्रकरण में निरंतर अग्रविमर्श करने के लिये वास्तुविदों हेतु भारत और युके के मानदंडों व आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

31. भारत में रोजगार के लिये वास्तुकला में विदेशी स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यताओं की समानता :

प्रायः परिषद् को ऐसे वास्तुविदों से अनेक अभ्यावेदन तथा सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होती है, जो विदेशों से वास्तुकला में अपनी स्नातकोत्तर योग्यतायें पूर्ण कर चुके हैं लेकिन भारत में उनकी स्नातकोत्तर की उपाधि मान्य या समकक्ष नहीं है। इस प्रकरण पर मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ भी विचार—विमर्श किया गया है तथा मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की है कि भारत में विदेशी पीजी योग्यताओं की समानता प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित करने सिहत कुछ पूर्व—निर्धारित मापदंडों के आधार पर समानता प्रदान करने की एक योजना तैयार की जाय, ताकि संबंधित वास्तुविद अपनी उच्चतर योग्यताओं से लाभान्वित हो सकें।

तद्नुसार, डॉ. वंदना सहगल अध्यक्ष तथा डॉ. मीनाक्षी जैन, सदस्य, डॉ. किवता डी. राव, विशेष सदस्य, डॉ. पी.एस.एन. राव, विशेष सदस्य तथा डॉ. ए. श्रीवत्सन, विशेष सदस्य की एक उप—समिति का गठन किया गया था, जो परिषद द्वारा वास्तुकला में भारतीय स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम के साथ वास्तुकला में विराष्ट्रीय पीजी योग्यताओं की समानता प्रदान करने हेतु योजना तथा कार्यतंत्र तैयार करने के लिये गठित की गई थी। समिति ने इस प्रकरण पर गंभीरता से ध्यान देने के बाद वास्तुकला में स्नातकोत्तर की उपाधि की समानता का सरलीकरण करने हेतु एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है, जो सीओए वेबसाइट पर समानता के लिये आवेदन करने हेतु सुलभ, समयबद्ध, एकल खिड़की आधारित, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण है। परिषद ने 12 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में विदेशी पीजी योग्यता योजना को अनुमोदित कर दिया है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय के पास प्रस्तुत कर दिया गया था। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

- 32. वास्तुविदों द्वारा उपलब्ध कराई गईं सेवाओं पर जीएसटी का संग्रहण : वास्तुविदों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् परिषद् ने माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया कि वास्तुकला सेवाओं पर जीएसटी के संग्रहण का उत्तरदायित्व वास्तुविदों के स्थान पर ग्राहक के ऊपर रखा जाना चाहिये। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की समुपयुक्त कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
- 33. सार्वभौमिक सुगमता पर समझौता ज्ञापन : वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को अग्रसारित करने के क्रम में, परिषद ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ सार्वभौमिक सुगमता पर एक पुस्तिका की तैयारी करना तथा वास्तुविदों / सार्वभौमिक सुगमता लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन करना सम्मिलित है, जिसमें सभी स्तरों पर वास्तुकला पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रमगत विषय—सूची में एक मुख्य विषय के रूप में सार्वभौमिक सुगमता को समाहित किया गया है।
- 34. परिषद् द्वारा वास्तुकला विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करना : वास्तुकला में अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन का संवर्द्धन करने के क्रम में परिषद् प्रत्येक वर्ष मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर रही है तथा महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में विजयी विद्यार्थी प्रविष्टियों का नामांकन कर रहे हैं :
  - क) वास्तुकला थीसिस 2023 में उत्कृष्टता के लिये सीओए पुरस्कार तथा वर्ष 2023 का जेके एवाईए सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्रीय इवेंट पर (दो श्रेणियों में) : श्रेणी क. वास्तुकला परियोजना
    - 1. सर्वश्रेष्ठ थीसिस परियोजना के लेखक को, (निर्णायक मंडल हेतु चयनित) रु. 15,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

- 2. अगली चार थीसिस परियोजनाओं के लेखकों को रु. 10,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- श्रेणी ख. सामाजिक समस्याओं की निदानकारी परियोजना
- 1. सर्वश्रेष्ठ थीसिस परियोजना के लेखक को, (निर्णायक मंडल हेतु चयनित) रु. 15,000/- + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- 2. अगली चार थीसिस परियोजनाओं के लेखकों को रु. 10,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- श्रेणी क. वास्तुकला परियोजना
- 1. सर्वश्रेष्ठ दो थीसिस परियोजनाओं के लेखक को रु. 1,00,000/ + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- 2. अगली तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखकों को रु. 25,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- श्रेणी ख. सामाजिक समस्याओं की निदानकारी परियोजना
- 1. सर्वश्रेष्ठ दो थीसिस परियोजनाओं के लेखकों को रु. 1,00,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- 2. अगली तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखकों को रु. 25,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

निर्णायक मंडल में विजयी प्रविष्टियों (प्रत्येक श्रेणी में दो) को नामांकित करनेवाले 4 महाविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान दिया जाना है : रु. 1,50,000 / — प्रत्येक

### राष्ट्रीय इवेंट में :

- 1. वर्ष के जेके एवाईए सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला विद्यार्थी पुरस्कार 2023 हेतु चयनित थीसिस परियोजना के लेखक को : रु. 25,000 / –, विजयचिह्न तथा प्रशस्तिपत्र (जे.के. सीमेंट लिमिटेड द्वारा)
- ख) वास्तुकला २०२३ में स्नातकोत्तर थीसिस में उत्कृष्टता हेतु सीओए पुरस्कार :
  - 1. सर्वश्रेष्ठ तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखक को रु. 1,00,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
  - 2. तीन श्रेष्ठ थीसिस परियोजनाओं के लेखक को रु. 25,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

निर्णायक मंडल में विजयी प्रविष्टियों को नामांकित करनेवाले 3 महाविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान दिया जाना है : रु. 1,50,000/— प्रत्येक।

- ग) वास्तुकला विरासत 2023 के प्रलेखीकरण में उत्कृष्टता हेतु सीओए विद्यार्थी पुरस्कार : (तीन श्रेणियाँ)
  - 1. क्षेत्रीय स्तर के विजेतागण (प्रत्येक क्षेत्र में कुल 6, प्रत्येक श्रेणी में 2) रु. 15,000/- + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
  - 2. राष्ट्रीय निर्णायक मंडल में विजेतागण (कुल 3, प्रत्येक श्रेणी में 1) रु. 1,00,000 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
  - 3. राष्ट्रीय निर्णायक मंडल में प्रशस्तिपत्र (कुल 6, प्रत्येक श्रेणी में 2) रु. 25,000 / -+ प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

निर्णायक मंडल में विजयी प्रविष्टियों को नामांकित करनेवाले 3 महाविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान दिया जाना है (प्रत्येक श्रेणी में एक) : रु. 1,50,000 / — प्रत्येक।

35. टीआरसी पूणे तथा भोपाल में संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम :

टीआरसी पुणे ने रिर्पोटाधीन वर्ष की समयावधि में पुणे तथा अन्य नगरों में अध्यापकों एवं व्यावसायिक वास्तुविदों के लिये एक ऑफलाइन तथा 35 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये। इन कार्यक्रमों में अखिल राष्ट्र के 1561 प्रतिभागीगण उपस्थित थे। कार्यक्रमों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

1. सीओए टीआरसी पुणे में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

큙.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण	समन्वयक का	तिथियाँ	प्रतिभागिता
सं.		नाम		की संख्या
1.	अनुसंधान में प्रथम चरण पूर्ण करना : कृषि, नगर	अरुणा श्री रेड्डी	17 से 21 अप्रैल 2023	53
	नियोजन तथा नगर वास्तुकला के क्षेत्रों में एक गहन			
	साहित्यिक समीक्षा तथा अनुसंधान विषय सृजित करने			
	हेतु सुझाव एवं तकनीकें			

			1 -	
2.	शिक्षण — वास्तुविदों के लिये इतिहास का शिक्षण तथा अनुप्रयोग	एन.एस. राठौड़	17 से 21 अप्रैल 2023	65
3.	पारंपरिक भारतीय वास्तुकला ज्ञान प्रणालियाँ	अश्विनी पेठे	8 से 12 मई 2023	45
4.	गुणात्मक अनुसंघान	अभिजीत नातु	29 मई से 2 जून 2023	53
5.	वास्तुकला विषय–सूची और शिक्षाशास्त्र में सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित करना	देबालीना घोष	29 मई से 2 जून 2023	29
6.	वास्तुकला लेखन : शोध पत्रों, लेखों में वास्तुकला लेखन का उपयोग करने और वास्तुकला के अभिनव संबद्ध अंतःविषयक क्षेत्रों की खोज करने की एक महत्त्वपूर्ण सचेत समझ	वेदवती दातार	5 जून से 9 जून 2023	48
7.	नगरीय भारत 2047 : भारतीय नगरों के भविष्य को आकार देना	अस्मिता यादव	19 से 23 जून 2023	58
8.	एक प्रभाव संचालित वास्तुकला विषय—सूची अंगीकार करना	राधिका नागपाल	3 से 7 जुलाई 2023	26
9.	वास्तुकला तथा अभिकल्पना अध्ययन में एसडीजी की व्याख्यायें	धीरज सल्होत्रा	17 से 21 जुलाई 2023	48
10.	सहानुभूति कारक मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला	सुहा खोपटकर	24 से 28 जुलाई 2023	30
11.	वास्तुकला पत्रकारिता में अनुसंघान का अर्थ : अकादिमयों तथा व्यावसायिक अभ्यास में प्रयुक्त प्रक्रियायें	जगबीर सिंह	31 जुलाई 2023 से 4 अगस्त 2023	34
12.	"गुणवत्तापूर्ण वास्तुकला शिक्षा को बढ़ावा देना : अकादिमक नियोजन, शिक्षण का क्रियान्वयन तथा अकादिमक प्रलेखीकरण	तनया वर्मा	7 से 11 अगस्त 2023	101
13.	जीवनानुकूल पर्यावरण की अभिकल्पना करने में जल तथा इसकी भूमिका	पूजा उग्रानी	7 से 11 अगस्त 2023	39
14.	नगरीय सामान्य आवश्यकतायें— अवसर तथा दृष्टिकोण	शांथला वी.	11 से 15 सितंबर 2023	29
15.	सौंदर्यशास्त्र तथा दृश्यगत भाषा : वास्तुकला में अनुसंघान और अभिकल्प शिक्षाशास्त्र	कैवन मेहता	12 से 16 सितंबर 2023	60
16.	सार्वभौमिक सुगमता प्रशिक्षण	जयश्री देशपांडे	12 से 23 सितंबर 2023	49
17.	परास्नातक वास्तुकला थीसिस को समझना	अंजलि चेरियथ	9 से 13 अक्टूबर 2023	40
18.	अंतःविषयक अनुसंधान तथा वास्तुकलात्मक अभ्यास	ममता राज	30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023	25
19.	वास्तुकला अभिकल्पना में आरेखों तथा प्रस्तुतिकरण का संश्लेषण	तुषारा जी. नायर	30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023	47
20.	वास्तुकला विषय—सूची तथा शिक्षाशास्त्र पोस्ट एनईपी 2020	शैला बंटानूर	20 से 24 नवंबर 2023	54
21.	वास्तुकला शिक्षा में जल संवेदनशीलता को एकीकृत करना	अनिल रवींद्रनाथन	20 से 24 नवंबर 2023	24
22.	अभिकल्पना संबंधी विचारण — सहानुभूति से नवाचार तक	भक्ति मोरे	11 से 15 दिसंबर 2023	34

23.	सभी के लिए आवास तथा दीर्घकालिक विकास में इसका भविष्य	शालिनी डी. रेड्डी	18 से 22 दिसंबर 2023	73
24.	शिक्षाशास्त्र पर पुनर्विचारण : डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता की खोज करना	नवारा ए.	8 से 12 जनवरी 2024	48
25.	जनरेटिव एआई आर्किटेक्नोक्सि : भविष्य के वास्तुविदों हेतु संकाय का सशक्तिकरण	अनुरक्ति यादव	8 से 12 जनवरी 2024	44
26.	गगनस्पर्शी भवनों को पुनः परिभाषित करना : ऊंचे भवन की अभिकल्पना में उन्नत प्रणालियों की खोज करना	परीक्षित वाघधरे	15 से 19 जनवरी 2024	41
27.	सतत् उपयोगी भवनों का संवर्द्धन करना— रेट्रोफिट, रीपर्पस, रीकंडीशन	कैवान मेहता	15 से 19 जनवरी 2024	47
28.	वास्तुकला शिक्षा में पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य	अदिति नवगिरे	29 जनवरी से 2 फरवरी 2024	54
29.	वास्तुकला, अभिकल्पना तथा अनुसंधान में एआई का अनुप्रयोग	शैला बंटानूर	29 जनवरी से 2 फरवरी 2024	46
30.	एसडीजी की व्याख्या– भूदृश्य तथा पर्यावरणीय अध्ययन	धीरज सल्होत्रा	19 फरवरी से 23 फरवरी 2024	41
31.	पर्यावरण प्रदर्शन अनुरूपता का सृजन तथा मूल्यांकन	सैली गोसावी	19 फरवरी से 23 फरवरी 2024	30
32.	अनुसंधान आधार तथा अनुसंधान पद्धति की अभिकल्पना	रामा आर. सुब्रमण्यम	26 फरवरी से 1 मार्च 2024	42
33.	वास्तुकला अभिकल्पना की संक्षिप्ति— डिजाइन स्टूडियो तथा इसके विकास हेतु एक प्रस्ताव	अभिषेक चक्रवर्ती	26 फरवरी से 1 मार्च 2024	31
34.	सार्वभौमिक सुगमता प्रशिक्षण (न्यू दिल्ली में ऑफलाइन संचालित किया गया)	जयश्री देशपांडे	11 से 12 मार्च 2024	25
35.	अनुसंधान में पीएलएस–एसईएम का अनुप्रयोग	अनुराग वर्मा	18 से 22 मार्च 2024	27
36.	दीर्घकालिक वास्तुकला : नवीकरणीय ऊर्जा तथा दीर्घकालिक विधियाँ अपनाना	अरुणा भारद्वाज	18 से 22 मार्च 2024	21
			कुल	1561

### 2. सीओए टीआरसी भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- 1. वास्तुकला में पैरामीट्रिक टूल्स और कम्प्यूटेशनल डिजाइन पर 08 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अप्रैल से 23 अप्रैल 2023 तक।
- 2. वास्तुकला तथा नियोजन अनुसंधान में कार्यप्रणाली एवं अन्वेषण पर एफडीपी 24 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 तक।
- 3. आरंभकर्ताओं-स्तर 1 हेतु पायथन पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण 6 मई 2023 से 28 मई 2023 तक।
- 4. नगरीय पर्यावरण, दीर्घकालिकता तथा जलवायु परिवर्तन पर एफडीपी 15 मई से 19 मई 2023 तक।
- 5. एक ओपन—सोर्स प्रक्रिया पर नगर विशिष्टता परिसीमन के लिये यूएवी ड्रोन पर राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला 22 मई से 26 मई 2023 तक।
- 6. जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन हेतु नगरों को अनुकूलित करने वास्तुकला नगरीकरण पर एफडीपी 29 मई से 2 जून 2023 तक।
- 7. डिजाइन के बहुविषयक पहलुओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन; संबद्धता—2023 को बढ़ाना 01 जून से 03 जून 2023 तक।
- 8. वास्तुकला तथा नियोजन में आँकड़ों का प्रभावपूर्ण विश्लेषण एवं प्रस्तुति के लिये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सृजन के शिक्षण पर एफडीपी
   12 जून 2023 16 जून 2023 ।
- 9. आपदा प्रबंधन तथा नगरीय अनुकूलन पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 3 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023 तक।

- 10. वास्तुकला तथ नियोजन में वर्तमान अनुसंधान एवं पद्धतियों पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 10 जुलाई से 14 जुलाई 2023 तक।
- 11. इष्टतम निर्माणन तथा नगरीय निर्मित पर्यावरण के लिये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एकीकृत करने पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 17 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक।
- 12. परियोजना—आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु वास्तुकला स्टूडियो प्रभावों से शिक्षा प्राप्ति पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 24 जुलाई से 28 जुलाई 2023 तक।
- 13. दीर्घकालिक विकास हेत् नगर की पारिस्थितिकीय पहलों पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 31 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक।
- 14. वास्तुकला आरेखण तथा प्रस्तुति के शिक्षण में शिक्षाशास्त्र पर राष्ट्रीय ऑनलाइन पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 तक।
- 15. दीर्घकालिक नगरों तथा समुदायों पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 21 से 25 अगस्त 2023 तक।
- 16. निर्मित पर्यावरण तक सुगमता के लिये सार्वभौमिक डिजाइन : बाधायें हटाने पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 11 से 15 सितंबर 2023 तक।
- 17. "पायथन फॉर बिगिनर्स लेवल 1" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एसटीटीपी 18 से 22 सितंबर 2023 तक।
- 18. "बिल्डिंग एनर्जी परफॉर्मेंस" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 25 से 29 सितंबर 2023 तक।
- 19. ''ऑकड़ा विश्लेषण तथा निर्णयन हेतु ऑकड़ा दृश्यकोण यंत्र : टेबल्यू एंड पावर बीआई" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एसटीटीपी 9 से 13 अक्टूबर 2023 तक।
- 20. "वास्तुकला में सॉफ्टवेयर का उपयोगीकरण प्रकट करना" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 30 अक्टूबर से 03 नवंबर 2023 तक।
- 21. "वास्तुकला तथा नियोजन में अनुसंधान प्रविधियाँ व तकनीकें" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एफडीपी 8 से 12 जनवरी 2024 तक।
- 22. "एपीआईसी" (वास्तुकला तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई में 24 से 25 फरवरी 2024 तक।
- 23. "पायथन फॉर बिगिनर्स लेवल 2" पर राष्ट्रीय ऑनलाइन एसटीटीपी 22 मार्च से 26 अप्रैल 2024 तक।
- 36. वास्तुकला संस्थानों में रैगिंग रोधन उपाय : पिरषद् ने रैंगिंग रोकने पर विरचित यूजीसी विनियमों को अपनाया है तथा सभी वास्तुकला संस्थानों को कठोरतापूर्वक इन विनियमों का पालन करने के लिये कहा गया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में पिरषद् के सम्मुख किसी भी संस्थान अथवा विद्यार्थी द्वारा किसी भी विद्यार्थी के साथ रैंगिंग की किसी भी घटना की शिकायत नहीं की गयी थी। श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी रैंगिंग रोधन पर केंद्रक अधिकारी हैं।
- 37. वास्तुविदों से परिषद् द्वारा लिये जा रहे शुल्क की वृद्धि हेतु सीओए नियमावली 1973 में संशोधन : परिषद् ने 24 एवं 25 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में, शुल्कों की पुनरीक्षा हेतु एक प्रस्ताव पारित किया तथा वास्तुविदों से लिये जा रहे शुल्कों में वृद्धि करने हेतु वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में उपयुक्त संशोधन करने के लिये, इसे 18 नवंबर 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय ने किन्हीं स्पष्टीकरणों की मांग रखी थी तथा परिषद् ने उन्हें पूरा कर दिया था। इस संदर्भ में मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
- 38. परिषद् द्वारा व्यक्तियों के आधार—आधारित सत्यापन का आरंभ : परिषद् ने सुशासन हेतु अपनी अभिनव कार्यप्रणालियों के भाग के रूप में आधार—आधारित सत्यापन आरंभ करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शासन से अनुरोध किया था कि आधार नियमावली के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत की जाय। शिक्षा मंत्रालय ने प्रकरण पर अपेक्षित अधिसूचना निर्गत कर दी है।
- 49. वास्तुकला परिषद (स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली 2022 का अनुमोदन ः
  - परिषद् ने, 15 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 77वीं बैठक में वास्तुकला परिषद (स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली 2022 का अनुमोदन किया है। इस विनियमावली को नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शासन के समक्ष, वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 45 के निबंधनों में उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
- 40. समुन्नति विद्यार्थी द्विवार्षिक दिसंबर 2023 :
  - संस्कृति मंत्रालय,भारत सरकार ने भारतीय कला, वास्तुकला एवं अभिकल्पना द्विवार्षिक 2023 (आईएएडीबी'23) नामक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो 9 से 15 दिसंबर 2023 तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया गया। द्विवार्षिक के अंश के रूप में परिषद ने छात्र द्विवार्षिक समुन्नित 2023 का आयोजन किया, जो 9 से 15 दिसंबर 2023 तक लिलत कला अकादमी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। *डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद* ने 15 दिसंबर 2023 को आयोजित समापन समारोह में भाग लिया तथा विजेताओं

/ प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये। इस कार्यक्रम में लगभग 108 वास्तुकला संस्थानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई से संबद्ध अनेक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी 7 दिनों के कार्यक्रम की सप्ताहावधि में आयोजन—स्थल पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

41. दिनाँक 15, 16 एवं 17 फरवरी 2024 को वीआईटी वेल्लोर, में "परिवर्तनशील विश्व में वास्तुकला शिक्षा" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन :

परिषद ने 15, 16 एवं 17 फरवरी, 2024 को वीआईटी, वेल्लोर, तिमलनाडु में "सीओए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन —परिवर्तनशील विश्व में वास्तुकला शिक्षा—भविष्य की समीक्षा और पुनर्विचार (सीओए—आईसीएफएई)" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जो वास्तुकला शिक्षा के गितशील तथा विकसित परिदृश्य को समर्पित एक प्रमुख सम्मेलन है। वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञों तथा विचारकों ने वास्तुकला शिक्षा के 6 उप—विषयों में उभरती रुचियों, चुनौतियों तथा नवीन दृष्टिकोणों पर व्यस्ततम् सत्र आयोजित किये। सम्मेलन के लिये प्राप्त चयनित शोधपत्र लेखकों द्वारा सम्मेलन में अकादिमक विचार—विमर्श में योगदान देने के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। इस सम्मेलन ने शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्योग के व्यवसायियों को एक साथ आने, जुड़ने और वास्तुकला शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता विकसित करने हेतु एक विशिष्ट मंच उपलब्ध कराया। नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा अंतःविषयक सहयोग पर ध्यान देने के साथ, सीओए—आईसीएफएई का उद्देश्य वास्तुकला शिक्षा का भविष्य साकार करने के लिये नवीन विचारों तथा कार्यनीतियों को प्रेरित करना था।

ं "समुन्नति विस्तार–परिवर्तनशील विश्व में वास्तुकला शिक्षा" निम्नलिखित छह व्यापक उप–विषयों पर आधारित थी:

- 1) अभ्यास तथा अनुसंधान के लिए वास्तुकला विषय-सूची की प्रासंगिकता;
- 2) नियामकीय निकायों की भूमिका;
- 3) वास्तुकला में उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ;
- 4) वास्तुकला में समकालीन चिंतायें;
- 5) अभिनव कार्यक्रम; तथा
- 6) एनईपी तथा वास्तुकला शिक्षा पर इसका प्रभाव।
- 42. सार्वभौमिक सुगम्यता के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :

परिषद् ने सीओए एवं डीईपीडब्ल्यूडी के मध्य निष्पादित एमओयू के तहत सार्वभौमिक सुगम्यता के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अखिल भारत के विरष्ट वास्तुविदों तथा शिक्षकों ने भाग लिया। तीन मॉड्यूल्स वाले पहले भाग को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा 6 दिनों तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। दो मॉड्यूल्स वाले दूसरे भाग को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में ऑफलाइन आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के संक्षिप्त विवरणों से समाविष्ट एक पुस्तक मुद्रित की गई थी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक के हाथों इसका विमोचन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल तथा सीओए के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय वी. पुरोहित के हाथों सफल प्रतिभागियों एवं वक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ संपन्न हुआ।

### 43. प्रकाशन :

परिषद्, "वास्तुकला समय स्थान एवं लोक" नामक पत्रिका तथा ई-प्रारूप में सीए न्यूज लैटर प्रकाशित कर रही है, जिनमें वास्तुकला व संबद्घ विषयों तथ परिषद् व इसकी गतिविधियों के बारे में समाचार एवं जानकारियों से संबंधित अनेक आलेख सम्मिलित हैं। परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा एवं व्यवसाय के संवर्द्धन के दृष्टिगत वास्तुकला संस्थानों में वितरण के लिये मितव्ययी मूल्यों पर निम्नलिखित पुस्तकें क्रय की हैं:

क्र.सं.	पुस्तक का शीर्षक	लेखक / प्रकाशक का नाम
1.	जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चरल (जेसीओए) –	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
	हेरिटेज एंड कंजर्वेशन	
2.	जस्ट गिव मि सम स्पेस	आर्कि. सुहा रियाज खोपटकर
3.	लेट्स बिल्ड विद बंबू (वाल्यू. 1 एंड वाल्यू. 2)	आर्कि. नीलम मंजूनाथ
4.	आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस — 2020	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
5.	लर्निंग बेसिक डिजाइन	प्रोफे. प्रदन्या चौहान
6.	फॉर्म फॉलोज रूट्स आर्किटेक्चर फॉर इंडिया — 1985—2021	आर्कि. सुरिंदर बाहगा

7.	आर्किटेक्चर : कांसेप्चुअल टु द मेनिफेस्ट — (2012)	आर्कि. प्रोफे. कुलभूषण जैन
8.	क्यूबिस्ट मॉडर्निज्म – द मेकिंग, मीनिंग एंड मैडनेस ऑफ माई आर्किटेक्चर	आर्कि. संगीत शर्मा
9.	कोर्टयार्ड हाउसेज ऑफ इंडिया	आर्कि.यतिन पंड्या
10.	आर्किटेक्चरल इंहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन इन इंडिया	आर्कि.अपूर्व बोस दत्ता
11.	चंडीगढ़	आर्कि. एस एस भाटी
12.	आर्किटेक्चर : थेरी, प्रेक्टिस, रिसर्च एंड पेडगॉजी	आर्कि. एस एस भाटी
13.	शेल्टरिंग एंगल	आर्कि. आशा बस्ते एवं स्व. आर्कि. प्रभाकर बस्ते

निम्नलिखित पुस्तकें मुद्रित की गई हैं और भारत में वास्तुकला महाविद्यालयों में वितरित की गई हैं

- अर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2022
- डॉक्युमेंटिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज 2021
- रि इमेजनिंग अर्बन वाइड्स
- कल्चरल रिसोर्स मैपिंग : ए टुल फॉर स्ट्रेंथनिंग दि पयुचर

निम्नलिखित पुस्तकें मुद्रण प्रक्रिया में हैं और शीघ्र वितरित की जायेंगी :

- अर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2021
- डॉक्युमेंटिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज 2022

निम्नलिखित पुस्तकें डिजाइनिंग प्रक्रिया में हैं और मुद्रण के लिए संकलित की जा रही हैं। इन्हें शीघ्र ही प्रकाशित तथा वितरित किया जायेगा :

- अर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2023
- डॉक्य्मेंटिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज 2022
- अर्काइविंग पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस इन आर्किटेक्चरल

'परिवर्तनशील विश्व में वास्तुकला शिक्षा : भविष्य की समीक्षा और पुनर्विचार' नामक सीओए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यक्रमों की पुस्तक संकलित की जा रही है और इसे शीघ्र ही मैसर्स टेलर एवं फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित किया जायेगा।

44. पावती : परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार तथा इसके अधिकारियों, समस्त राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, समस्त वास्तुकला संस्थानों को परिषद् को प्रदत्त उनके व्यापक सहयोग के लिये अपनी सराहना एवं आभार प्रकट करती है। परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों का संविस्तार करने के लिये वास्तुकला परिषद् के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, अभ्यासरत् वास्तुविदों, शिक्षाविदों तथा समस्त विज्ञापनदाताओं को उनके सहयोग, मार्गदर्शन, सलाह एवं समर्थन के लिये अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, माननीय श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार तथा श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष, श्री हरदीप पुरी, माननीय आवासन एवं नगर कार्य मंत्री, भारत सरकार, कु. प्रतिमा भौमिक, न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष को समय—समय पर परिषद को दिये गये उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। परिषद, माननीय राज्यपाल पंजाब, माननीय मुख्यमंत्री करल, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भी उनके द्वारा मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चरल प्रेक्टिस के शुभारंभन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

परिषद्, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों और वर्ष 2023–24 की समयाविध में परिषद् को उपयोगी सेवायें प्रदान करनेवाले समस्त व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करती है।

दिनांकित : 18/06/2024

आर. के. ओबराय, पंजीयक (रजिस्ट्रार)

बी.सी. जैन एण्ड कं. सनदी लेखाकार सेवा में, वास्तुकला परिषद् वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन समुपयुक्त राय

हमने वास्तुकला परिषद ('परिषद'') के संलग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का तुलन—पत्र, आय एवं व्यय विवरण, तत्समय समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ समाहित हैं, तथा उसमें महत्त्वपूर्ण लेखाँकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यापरक जानकारी (यहाँ इसमें इसके पश्चात ''वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) का एक साराँश भी सिम्मलित है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हमारे प्रतिवेदन की समुपयुक्त राय के आधार पर वर्णित प्रकरण के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण वास्तुकला परिषद् विनियम 1972 (तिथि तक संशोधितानुसार) द्वारा अपेक्षितानुसार आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्यतयः स्वीकृत लेखाँकन सिद्धाँतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक परिषद् के कार्यों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के इसके अधिशेष तथा इसकी प्राप्ति एवं भुगतान की स्थिति का एक समुचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

### सम्पय्क्त राय का आधार

हम आगे नोट संख्या 3 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं कि परिषद् ने "सामान्य निधि / अधिशेष / घाटर खाता" से "भवन निर्माण परिसर निधि" में निधि अंतरित की है। उपरोक्त निधि वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए रु. 10.93 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए रु. 14.26 करोड़ रुपये से संबंधित है। आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुसार, निर्धारित निधियों का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त उपरोक्त निधि का उपयोग निधि सृजन के वित्तीय वर्ष के समापन से पांच वर्षों की एकाविध के अंदर किया जाना चाहिए। वर्तमान वर्ष की समयाविध में, वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं किया गया है, जिसके कारण इसे परिषद की करयोग्य आय माना जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2017—18 में सृजित निधि के संबंध में, इसका उपयोग 31—03—2023 को या इससे पहले किया जाना आवश्यक था। इस कारणवश इसे वित्त वर्ष 2022—23 की करयोग्य आय माना जाना चाहिए, किंतु इसे वित्त वर्ष 2022—23 में कर हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है। इस कारणवश , वर्तमान वित्तीय वर्ष की परिषद की कुल आय 25.19 करोड़ तक कम करके बताई गई है और गृह निर्माण परिसर निधि के उपयोगीकरण के प्रयास कर रही है और वित्त वर्ष 2017—18 की निधि के उपयोगीकरण हेतु समय बढ़ाने की अनुमित देने के लिए अध्यक्ष सीबीडीटी को आवेदन दिया गया है, जिसे आय कर विभाग द्वारा अभी भी निस्तारित किया जाना शेष है।

हमने अपना अंकेक्षण कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा निर्गत अंकेक्षणन मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत चिह्नित हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण अनुभाग में उल्लिखित 'अंकेक्षक के उत्तरदायित्व' में प्रस्तुत है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में अंकेक्षण सुसंगत आंतिरक नियंत्रण का ज्ञान प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुसार तो उपयुक्त हों, किंतु
  परिषद के आंतिरक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर कोई भी राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हों।
- उपयोग में लाई गईं लेखाँकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किये गये लेखाँकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखाँकन की वर्तमान कंपनी के प्रबंधन की उपयोग की उपयुक्तता पर आधारित तथा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जो परिषद की एक वर्तमान संस्था के रूप में निरंतर चलायमान रहने की क्षमता पर गहन संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हाँ यहाँ कोई वास्तविक अनिश्चितता है, तो हमें अपने अंकेक्षक के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यानाकृष्ट करना होगा, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय बदलनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारे अंकेक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण परिषद् एक चलायमान संस्था के रूप में निरंतर नहीं बनी रह सकती।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना तथा विषयवस्तु का मूल्याँकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी सिम्मिलित हैं, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य प्रकरणों के साथ–साथ, अंकेक्षण के नियोजित क्षेत्र तथा समयसारणी तथा महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें हमारे अंकेक्षण की समयाविध में चिह्नित आंतरिक नियंत्रण में प्रकट कोई महत्त्वपूर्ण कमी भी सम्मिलित है।

हम शासन के प्रभारियों को यह कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य प्रकरणों के बारे में संवाद करने के लिए कहा है, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालनेवाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी प्रकट हैं। अन्य विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

इसके अतिरिक्त, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

- क) हमने वह सभी जानकारियाँ तथा स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्यार्थ अनिवार्य थे;
- ख) हमारी राय में, वास्तुविद अधिनियम 1972 द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, परिषद् के पास रखी गई हैं तथा जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे भी अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ समुचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं।

# 31 मार्च 2024 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि - रु.)

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
राशि / पूंजी निधि एवं देनदारियाँ			
भारतीय शासन का पूंजी योगदान	1	150000.00	150000.00
सुनिश्चित निधियाँ	2	1513260089.00	1336399626.00
देनदारियाँ	3	284024199.00	274840148.00
अधिशेष / घाटा खाता	7	490275419.27	450394589.97
	,		13037 1307.77
कुल		2287709707.27	2061784363.97
परिसंपत्तियाँ	4	239111356.00	240175456.78
स्थायी परिसंपत्तियाँ	5	1902346953.00	1689753968.00
निवेश	6	146251398.27	131854939.19
वर्त परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
कुल		2287709707.27	2061784363.97
खातों के अनुसार लेखाँकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	14		

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की आय व व्यय

(राशि - रु.)

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
आय			
शुल्क	8	58055887.00	50638887.00
अन्य आय	9	104120791.81	108647510.51
अर्जित ब्याज	10	107750884.00	88568138.84
कुल (क)		26,99,27,562.81	24,78,54,536.35
व्यय प्रतिष्ठान व्यय प्रशासनिक व्यय शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्द्धन से संबंधित व्यय हास	11 12 13 4	23773418.00 15573055.21 27310117.00 3390143.30	24029122.00 14728926.61 25751926.00 2196892.36
कुल (ख)		70046733.51	66706866.97

व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के रूप में शेष (क—ख)		199880829.30	181147669.38
अधिशेष एवं घाटा खाता में अंतरित		199880829.30	181147669.38
खातों के अनुसार लेखाँकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	14		

## वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित) (अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि – रु.)

प्राप्तियाँ	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष	भुगतान	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
।. प्रारंभिक शेष			।. व्यय		
क) रोकड़ शेष एवं ड्राफ्ट्स	651,340.00	67,440.00	क) प्रतिष्ठान व्यय (अनुसूची 11 के अनुरूप)	23,773,418.00	24,029,122.00
ख) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियाँ	170,882.00	413,206.50	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुरूप)	15,573,055.21	14,728,926.61
ग) बैंक शेष			ग) कार्यशालाओं के व्यय— प्रत्याशा / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / विद्यार्थी बिनाले	7,750,905.00	2,043,517.00
1) चालू/ओडी खातों में	248,905.77	752,622.77	घ) थीसिस/विरासत पुरस्कार कार्यक्रम व्यय	5,193,489.00	1,990,250.00
2) बचत खाता	28,994,880.03	18,950,954.40	ड.) उत्कृष्टता केंद्र – बेंगलुरू – डिजाइन प्रतियोगिता एवं शिलान्यास व्यय	996,829.00	2,503,114.00
।।. प्राप्त निधियाँ			च) नगरीय स्टूडियो अनुसंधान परियोजना हेतु मूलधन/अनुदान	0.00	475,000.00
क) मूल्याँकन शुल्क	60,140,000.00	59,800,000.00	छ) वास्तुकला जागरूकता पर फिल्म के व्यय	104,972.00	1,707,500.00
ख) निर्णय पुनरीक्षण का शुल्क	50,000.00	150,000.00	<ol> <li>विभिन्न परियोजनाओं हेतु उपलब्ध निधियों के समक्ष किये गये भुगतान</li> </ol>		
ग) इन्ट्यूशन्स का अर्थदंड / दंड	1,860,000.00	455,000.00	क) नाटा व्यय	28,126,768.00	23,271,657.00
घ) संस्थान का नाम/स्थल परिवर्तन/समापन का शुल्क	4,100,000.00	5,100,000.00	ख) मूल्यॉकन एवं निरीक्षण व्यय	23,771,128.19	22,712,185.86
ड.) विवाचन शुल्क / प्रशासनिक प्रभार	0.00	32,000.00	ग) विवाचन व्यय	0.00	0.00
।।।. प्राप्त ब्याज			घ) वास्तुविद व्ययों की निर्देशिका	0.00	0.00

_/ 4/	105 502 205 00	05 271 606 04	I _\	4.00-40400	11.021.11.00
क) बैंक जमाओं पर	105,592,297.00	85,371,606.84	ड.) प्रकाशन व्यय	12,007,196.00	11,921,464.00
ख) ऋण, अग्रिम, इत्यादि	879,017.00	820,362.00	च) बीईई कार्यक्रम व्यय	0.00	242,000.00
ग) बचत बैंक खाता पर	1,279,570.00	2,376,170.00	छ) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन व्यय	4,953,083.00	5,111,081.00
<b>IV</b> . शुल्क आय			।।।. अन्य भुगतान		
क) पंजीकरण शुल्क	8,554,800.00	8,050,200.00	क) बैंक / कंपनियों द्वारा कटा गया टीडीएस	10,805,201.00	8,705,123.00
ख) नवीनीकरण शुल्क	11,469,000.00	10,719,100.00	ख) कर्मचारियों को अग्रिम	3,258,400.00	1,946,600.00
ग) पुनःस्थापन शुल्क	8,514,000.00	6,253,000.00	ग) अन्य अग्रिम	1,770,596.00	3,239,959.00
घ) अनुलिपि प्रमाणपत्र शुल्क	207,600.00	186,000.00	घ) एकल नवीनीकरण शुल्क का विभाजन	11,843,537.00	11,125,937.00
ड.) वास्तुविदों से लिया गया अर्थदंड	17,240,750.00	14,304,650.00	ड.) नाटा शुल्क अग्रिम	14,830,150.00	0.00
च) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क का नियोजन	11,843,537.00	11,125,937.00	च) मूल्यांकन शुल्क अग्रिम	53,210,000.00	56,700,000.00
छ) वास्तुविद पहचान पत्र शुल्क	226,200.00	0.00	छ) प्राप्य / भुगतानयोग्य राशि	5,110,859.00	16,400,623.00
<b>V</b> . अन्य आय			ज) वर्ष का प्रोद्भूतकृत बैंक ब्याज	13,157,558.00	10,562,724.00
क) प्रकाशनों से आय	10,373,988.00	4,522,373.00	झ) कर्मचारियों के अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	879,017.00	830,362.00
ख) आरटीआई शुल्क	220.00	440.00	ञ) नाटा परीक्षा का पूर्व भुग्तेय व्यय	2,456,772.00	2,250,980.00
ग) नाटा शुल्क	73,443,200.00	79,344,400.00	ट) विद्यमान वास्तुकला संस्थानों की प्रतिभूति जमायें	0.00	0.00
घ) विद्यार्थी बिनाले / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन— प्रायोजकता	4,369,437.00	0.00	<ul><li>ठ) नवीन वास्तुकला संस्थानों</li><li>की प्रतिभूति जमायें</li></ul>	7,500,000.00	0.00
ड.) विविध आय	26,700.00	840.37	IV. स्थायी परिसंपत्तियों एवं प्रगति अधीन पूंजी पर व्यय		
च) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का भागीदारी शुल्क	4,351,500.00	4,204,300.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	5,868,649.00	8,102,904.00
छ) शोध निबंध (थीसिस) पुरस्कार कार्यक्रम– प्रायोजकता	1,000,000.00	1,000,000.00	V. किये गये निवेश तथा की गयीं जमायें		
<b>VI</b> . अन्य प्राप्तियाँ			क) निश्चित / धर्मार्थ-दान निधियों में से	355,434,206.00	590,025,457.0 0
क) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क	28,704,000.00	26,557,500.00	ख) वास्तुकला संस्थान से प्राप्त प्रतिभूति जमा में से	7,500,000.00	7,500,000.00
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	150,341,221.00	432,471,780.00	<b>VI</b> . समापन शेष		
ग) कर्मचारियों से वसूला गया अग्रिम	3,126,960.00	2,480,907.00	क) रोकड़ शेष एवं ड्राफ्ट्स	7,520.00	651,340.00

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

घ) अन्य वसूले गये अग्रिम	3,228,125.00	1,898,848.00	ख) बैंक शेष		
ड.) प्रोद्भूतकृत ब्याज के	2,686,334.00	3,852,677.53	1) चालू/ओडी खातों में	2,626,442.77	248,905.77
समक्ष समायोजित					
ब्याज					
च) भुगतानयोग्य	4,722,836.48	1,368,028.86	2) बचत खाते	18,571,799.11	28,994,880.03
कर / राशि / पोस्टेज					
छ) नाटा शुल्क अग्रिम	31,037,250.00	14,830,150.00	3) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियाँ	0.00	170,882.00
ज) मूल्याँकन शुल्क अग्रिम	42,647,000.00	53,210,000.00			
झ) नवीन वास्तुकला	15,000,000.00	7,500,000.00			
संस्थानों की प्रतिभूति					
जमायें					
ञ) बीईई	0.00	22,000.00			
प्रायोजकता / प्रशासनिक					
प्रभार					
कुल	637,081,550.28	858,192,494.27		637,081,550.28	858,192,494,27

### वास्तुकला परिषद्

हेतु एवं उसकी ओर से

हस्ता./- हस्ता./-(रजिस्ट्रार) ( अध्यक्ष)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 09–07–2024 सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बी.सी. जैन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफआरएन : 001099सी

हस्ता./-

(सीए श्याम जी गुप्ता) सदस्यता संख्या : 416155

पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) [विज्ञापन-III/4/असा./457/2024-25]

### COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A Statutory Authority of Government of India)

### ANNUAL REPORT 2023-2024

New Delhi, the 18th June, 2024

**F. No.CA/55/2024/Annual Report.**— The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31st March, 2024.

The Council of Architecture (COA) is regulatory authority for architectural institutions and professionals in the country and maintains a Register of Architects on national basis. The Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India is the nodal Ministry of the Council.

The COA, besides maintaining Register of Architects, oversees the maintenance of standards, periodically of recognized qualifications under the Act by way of conducting inspection through Committees of Experts. Based on the reports submitted by Experts, the COA can make representation to appropriate Governments with regard to inadequacy of standards maintained by the institutions.

Prof. Abhay V. Purohit is the President and Ar. Gajanand Ram is Vice-President of the Council. Shri R. K. Oberoi is the Registrar and Shri Deepak Kumar is Administrative Officer of the Council. In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council has constituted the following Statutory Committees:

- (i) The Executive Committee is constituted under Section 10 of the Act and it functions as an Executive Authority of the Council.
- (ii) Disciplinary Committee is constituted by the Central Government as per Council of Architecture Rules framed by the Central Government. This committee investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects and makes its recommendations to the Council for taking decision on the guilt of the Architects.
- (iii) Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.
- (iv) Sub-Committee on Foreign Qualifications examines the references received from Central Government for recognition of Foreign qualifications.
- (v) Scrutiny Committee scrutinizes the proposals/ applications received from existing institutions for extension of approval/ additional intake/ new institutions for introduction B.Arch. Course.

The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.2023 to 31.03.2024 are enumerated below:

### 1. MEETINGS:

### **Council Meetings:**

During the year under report the Council had two meetings i.e.  $80^{th}$  Meeting on  $2^{nd}$  September, 2023 and  $81^{st}$  Meeting on  $9^{th}$  December, 2023.

### **Executive Committee Meetings:**

During the year under report the Executive Committee had its 10 meetings as under:

Sl.No.	Meeting No.	Held on	Mode
1.	249 <sup>th</sup> Meeting	28th April, 2023	Hybrid
2.	250 <sup>th</sup> Meeting	2 <sup>nd</sup> June, 2023	Offline
3.	251st Meeting	24th June, 2023	Hybrid
4.	252 <sup>nd</sup> Meeting	18 <sup>th</sup> August, 2023	Hybrid
5.	253 <sup>rd</sup> Meeting	1 <sup>st</sup> September, 2023	Offline
6.	254 <sup>th</sup> Meeting	24 <sup>th</sup> November, 2023	Hybrid
7.	255 <sup>th</sup> Meeting	8 <sup>th</sup> December 2023	Offline
8.	256 <sup>th</sup> Meeting	7th January, 2024	Online
9.	257 <sup>th</sup> Meeting	15 <sup>th</sup> February, 2024	Offline
10.	258 <sup>th</sup> Meeting	28th March, 2024	Hybrid

**2. REGISTRATION OF ARCHITECTS:** The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The registration application and fees can be submitted in online as well as in offline mode.

During the period under report, Council has granted registration to 13812 qualified persons as Architects. With this as on 31st March, 2024, a total of **169897** Architects have been registered as architects. The state wise details of **109283** architects who hold valid registration as on 31.03.2024, is as under:

Sl.	Name of States/UTs	Architects	Total	Active Architects
No.		Registered during period 01.04.2023	Architects Registered	with valid renewal as on
		to 31.03.2024	as on	31.03.2024
			31.03.2024	
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	01	58	35
2.	ANDHRA PRADESH	298	2796	1800
3.	ARUNACHAL PRADESH	07	103	69
4.	ASSAM	77	1112	823
5.	BIHAR	112	1372	1004
6.	C/O 56 Apo	00	02	01
7.	C/O 99 Apo	00	01	01
8.	CHANDIGARH	34	1120	658
9.	CHHATTISGARH	137	1541	993
10.	DADRA & NAGAR HAVELI	08	44	32
11.	DAMAN & DIU	04	57	40
12.	DELHI	476	13703	7839
13.	GOA	46	1087	718
14.	GUJARAT	802	10706	6803
15.	HARYANA	373	6247	4416
16.	HIMACHAL PRADESH	94	869	632
17.	JAMMU & KASHMIR	56	547	382
18.	JHARKHAND	54	846	553
19.	KARNATAKA	1168	12725	7766
20.	KERALA	1661	11084	7821
21.	LADAKH	04	15	14
22.	LAKSHADWEEP	00	05	01
23.	MADHYA PRADESH	391	4756	3026
24.	MAHARASHTRA	3730	45728	28978
25.	MANIPUR	17	192	139
26.	MEGHALAYA	07	201	139
27.	MIZORAM	27	167	146

28.	NAGALAND	11	117	71
29.	ODISHA	142	1762	1194
30.	PUDUCHERRY	45	386	251
31.	PUNJAB	227	3277	2173
32.	RAJASTHAN	231	3604	2367
33.	SIKKIM	15	130	90
34.	TAMIL NADU	1976	20735	12963
35.	TELANGANA	530	6274	3896
36.	TRIPURA	04	68	46
37.	UTTAR PRADESH	758	11607	8190
38.	UTTARAKHAND	73	1324	931
39.	WEST BENGAL	216	3529	2282
	Total	13812	169897	109283

3. RENEWAL OF REGISTRATION OF ARCHITECTS: During the period (01.04.2023 to 31.03.2024) the Council has renewed registration of 29545 architects on annual basis and 8239 architects have opted for one-time renewal. 8521 architects have restored their names to the register of architects upon payment of requisite fees.

# 4. ISSUANCE OF NEW CERTIFICATE OF REGISTRATION AND IDENTITY CARDS TO ARCHITECTS HAVING VALID REGISTRATION:

During the year under report the Council has issued new Certificates of Registration and Identity cards free of cost, to new registrants and on surrender of existing Certificates:-

1. Existing Registered Architects : 06506 2. New Registered Architects : 13812

#### 5. BUDGET ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-2024:

The Executive Committee of Council in its 249<sup>th</sup> Meeting held on 28<sup>th</sup> April, 2023 approved the Budget Estimates for the Financial Year 2023-2024 with Recurring Expenditure to the extent of Rs.2633.28 Lacs and Non-recurring Rs.1016.00 Lacs as against the income receivable to the extent of Rs.3649.37 Lacs.

# 6. RECOGNITION OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND TRUST BY INCOME TAX DEPARTMENT, GOVT. OF INDIA:

The Council has submitted necessary application/ documents to Income Tax Department for recognition of the Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust by the Income Tax Department, govt. of India. The approval of the Department is awaited.

# 7. APPEAL FILED BY THE COUNCIL AGAINST THE IMPOSITION OF SERVICE TAX ON THE STATUTORY FEES AND CHARGES COLLECTED BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE DURING THE PERIOD FROM 01.07.2012 TO 30.06.2017:

The Council has filed an appeal bearing no.ST/53090 of 2016-DB dated 15.12.2016 by depositing a sum of Rs.17,36,095/- against demand of Rs.1,73,60,950/- as Service Tax, Education Cess & HSEC and on various services received/rendered, besides interest and penalty u/s 75,76,77 & 78 of The Finance Act, 1994 issued by the Principal Commissioner of Service Tax, Delhi-II. The year wise Service Tax demand is given below:

- 1. Rs.29,01,463/- for the period 01.07.2012 to 31.03.2013,
- 2. Rs.58,41,183/- for the period 01.04.2013 to 31.03.2014 and
- 3. Rs.86,18,304/- for the period 01.04.2014 to 31.03.2015.

Further, Council has also filed another appeal bearing no.ST/5194/2022-CU [DB] dated 01.08.2022 by depositing a sum of Rs.19,03,860 towards the Pre-Deposit (Advance) of Service Tax Demand i.e. 7.5% of total demand raised and mandatory Pre-Deposit u/s 83 of Finance Act,1994. The year wise Service Tax demand is given below:

- 1. Rs.69,16,284/- for the period 01-4-2015 to 31-03-2016 and
- 2. Rs.1,84,68,492/- for the period 01-04-2016 to 30-06-2017.

Several Hearings were held before the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The orders in respect of abovementioned appeal cases are reserved by the Tribunal. Final liability, if any, shall be booked at the time of final disposal of Council's reply by the Service Tax Department.

- **8. AMENDMENTS IN THE COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS, 1999:** The Council has submitted a proposal to the Ministry of Education, Govt. of India, for amending the Council of Architecture Employees Recruitment and Promotion Regulations, 1999, for creation of additional posts in the Council to meet the increased workload. The approval of the Ministry is awaited.
- **9. ELECTION OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT, COUNCIL OF ARCHITECTURE:** The Ministry of Education, Govt. of India appointed Shri M.L. Soni, Director, Department of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India, as Returning Officer for conduct of elections. The elections were held on 3<sup>rd</sup> April, 2023. Prof. Abhay Vinayak Purohit was elected as President and Ar. Gajanand Ram was elected as Vice-President of the Council of Architecture.

### 10. APPROVAL OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS FOR THE ACADEMIC SESSION 2023-2024:

The Council of Architecture during the academic session 2023-24 accorded extension of approval to 379 institutions which are imparting recognized architectural qualifications in the country.

During the year under the report, 8 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 10 existing institutions were granted approval for introduction of PG courses. The state wise number of institutions are listed below:

State	No. of Institutions
Andhra Pradesh	8
Assam	2
Bihar	2
Chhattisgarh	2
Chandigarh	1
Delhi	8
Goa	1
Gujarat	22
Himachal Pradesh	2
Haryana	14
Jharkhand	1
Jammu & Kashmir	4
Karnataka	43
Kerala	32
Maharashtra	83
Meghalaya	1
Madhya Pradesh	14
Mizoram	1
Odisha	7
Punjab	14
Puducherry	1
Rajasthan	12
Tamil Nadu	58
Telangana	13

State	No. of Institutions
Uttarakhand	3
Uttar Pradesh	22
West Bengal	8
Total	379

Further, 39 institutions were directed to close down during the academic session 2023-2024 owing to non-filling up of less than 30% seats in B.Arch. course in last three years or non-submission of application for approval to the Council.

11. GRANT OF APPROVAL TO THREE YEAR DIPLOMA COURSE(S) IN ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP: During the academic session 2023-2024, the Council has granted approval to 16 new Diploma Institutions and extension of approval to 80 Institutions for imparting 3 Year Diploma in Architecture/Architectural Assistantship and Diploma in Interior Design. Further, the Council has granted approval to 40 existing B.Arch. Institutions for introduction of 3 Year Diploma in Architecture/Architectural Assistantship and Diploma in Interior Design.

# 12. CONDUCT OF NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE FOR ADMISSION TO FIRST YEAR OF FIVE YEAR B.ARCH. DEGREE COURSE FOR THE ACADEMIC SESSION 2023-2024:

The Council is conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) every year as a single window examination for admission to first year of 5-year B.Arch. Couse. The NATA 2023 was conducted Four times in 2023. First Test was conducted on 21.04.2023, Second Test was held on 03.06.2023, Third test was held on 09.07.2023 and Fourth test was held on 17.09.2023. A total of 29539 unique candidates registered for the test and 22234 candidates appeared in the test. Out of the total appeared candidates, 21003 unique candidates qualified the NATA Test.

13. REGISTRATION OF FIR UNDER RELEVANT PROVISIONS OF IPC AGAINST MR. OM MUKUNDRAO NAGARKAR: The Council received an application dated 13.12.2020 from Mr. Om Mukundrao Nagarkar with all the required documents (self-attested) and accordingly Registration No.CA/2020/126097 was granted to him and system generated intimation through email about grant of registration was also sent to Mr. Om Nagarkar on 22.12.2020.

On 29th December 2020, Registrar, COA, received a complaint from Ar. Arshad Shaikh, Chairman, IIA, Ahmednagar Centre against Mr.Om Mukundrao Nagarkar, stating that he had done two years post metric Diploma in interior from one autonomous institute in Ahmednagar in 2006. Since then, he is practicing as interior designer in Ahmednagar. It was also informed that Mr.Om Mukundrao Nagarkar hasn't undergone architectural education in any College of Architecture and is not eligible for registration as an architect.

The Certificate of Registration was withheld by the Council and Mr.Om Mukundrao Nagarkar was asked to submit the original documents to Council for verification. However, no information was submitted by him. The Council forwarded the documents submitted by Mr. Om Nagarkar to the Registrar, Shivaji University, Kolhapur, requesting them to verify the candidature and authenticity of documents submitted by him. The Council also forwarded the documents to the Principal, Shri V.B.Patil Trust's Appasaheb Birnale College of Architecture, Sangli, Maharashtra, for their verification. Principal, Shri V.B.Patil Trust's Appasaheb Birnale College of Architecture, Sangli has informed the Council vide letter dated 27.03.2021 that Mr.Om Mukundrao Nagarkar is not a bonafide student of Shivaji University, Kolhapur.

The Council decided to file FIR at Lodhi Colony Police Station, New Delhi, against Mr. Om Nagarkar as he has obtained registration from the Council by fraud, misrepresentation and by suppression of material facts to a statutory authority of Government of India by submission of self-attested copies of fake/sham documents. However, in spite of repeated requests of Council, the SHO Lodhi Colony Police Station refused to register FIR in the matter. The Council filed an application under section 156(3) of Cr. P.C before competent Court for issuing direction for registration of FIR against Mr. Om Mukundrao Nagarkar. The Hon'ble Metropolitan Magistrate Saket Court, New Delhi, vide order dated 06.02.2023 directed the S.H.O. Lodhi Colony, Police Station, to register FIR under the relevant provisions of law within five weeks from the date of order. Further, action is being taken in the matter.

- 14. ACTION AGAINST SH. HARRISH K. BAJAAJ FOR DEFAMING AND ABUSING MEMBERS AND OFFICERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT AND COUNCIL OF ARCHITECTURE: The Council members, officers of Central Government and Council were receiving emails and RTI applications using abusive and unparliamentary language from Sh. Harrish K. Bajaaj. He was also issued legal notice by Council's advocate to desist from making such unparliamentary and defamatory communication. However, Sh. Harrish K. Bajaaj did not stop form his illegal activities. The Council lodged a complaint in the matter with the Commissioner of Police and SHO, Lodhi Colony Police Station to register an FIR in the matter against Sh. Harrish K. Bajaaj. However, no action was taken against him by Delhi Police. The Council filed a suit for injunction and Criminal defamation case against him. The Hon'ble Court has ordered in favour of Council and restrained Sh. Harrish K. Bajaaj from visiting office of Council or sending any defamatory communication to Council members and officers of the Ministry and Council.
- 15. DESIGN IDEAS COMPETITION OF NHAI FOR DESIGN/ BEAUTIFICATION OF BOUNDARY OF WALLS OF ALL NATIONAL HIGHWAYS: The National Highways Authority of India has announced an Ideas Design Competition for Design/ Beautification of Boundary Walls of all National Highways in India. The Competition was conducted by the Council on its "Samarthaya" Portal. The report/ recommendations of the Jury have been sent to the NHAI.
- 16. DESIGN IDEAS COMPETITION OF NHAI, FOR ERECTION OF ICONIC STRUCTURE ON DHAULA KUAN ROAD, NEW DELHI: The National Highways Authority of India has announced an Ideas Design Competition for Design/ Beautification of Boundary Walls of all National Highways in India. The Competition was conducted by the Council on its "Samarthaya" Portal. The report/ recommendations of the Jury have been sent to the NHAI.
- 17. DESIGN IDEAS COMPETITION FOR "TOILETS" UNDER SWACHH BHARAT MISSION 2.0-URBAN CONDUCTED BY COUNCIL OF ARCHITECTURE ON BEHALF OF MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, GOVT. OF INDIA.

The Council has successfully conducted the Design Ideas Competition For "Toilets" Under Swachh Bharat Mission 2.0-Urban on behalf of Ministry of Housing and Urban Affairs Govt. of India. The winning entries have been awarded with prize money by the Ministry through Council of Architecture.

18. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS STATE GOVERNMENTS/ LOCAL AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES ON VARIOUS ISSUES: During the year under report, on receipt of representations from Architects the Council has written to following authorities on issues related to registration of architects to carry on the profession of architecture by local bodies, appointment of non-architects on architectural posts, etc. The details of the same is as under:

S. No.	Authority	Subject/ Issue
1	The Chief Secretary, Government of Kerala	Registration/licensing Architects on Online Portal
2	The Chief Secretary, General Administration Department Government of Gujarat	Registration/licensing Architects on Online Portal
3	To all Chief Secretaries	Amendment in Recruitment Rules in the office of the Chief Architect, PWD
4	The Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh and Commissioner, Shimla Municipal Corporation	Appointment of Non architect on the Post of PIO, cum Architect Planner, M.C. Shimla
5	Letter to Hon'ble Chief Minister, State of Telangana	Self-Certification by owners for construction of Building in Telangana State building permission approval
6	The Embassy of Italy, New Delhi	Non-recognition of registration as an architect for issuance of licence to practice in Italy.

- 19. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS GOVT. DEPARTMENT/ UNDERTAKINGS ON SELECTION/ APPOINTMENT OF ARCHITECTS: The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Council of Architecture Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council. During the year under report, the Council has requested following organisations to follow the norms of Council for selection/ appointment of Architects:
  - 1. Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited
  - 2. NBCC India limited, Chennai and Secretary to Govt. Government of Puducherry
  - 3. Indian Overseas Bank, Regional Office, Varanasi
  - 4. Government of Tamil Nadu
  - 5. Maharashtra Ecotourism Development Board
  - 6. The Chief Secretary Govt. of Maharashtra
  - 7. The Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh
  - 8. Indore Smart City Office, Indore
  - 9. The Chief Secretary Govt. of Haryana
  - 10. Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Lucknow
  - 11. The Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand (Uttarakhand Forest Department), Govt. of Uttarakhand
  - 12. Nanded Waghala City Municipal Corporation & Office of the District Collector Vazirabad, Nanded
  - 13. District Collector, Yavatmal and Municipal Council Yavatmal
  - 14. District Collector and Magistrate Collector Office, Hingoli and Nagar Parishad Office
  - 15. Office of the Executive Engineer PWD (R&B) Division, Udhampur
  - 16. Slum Rehabilitation Authority, Pune
  - 17. Karvin Design Consultants, Madurai
  - 18. National Mineral Development Corporation Ltd., Castle Hills, Hyderabad
  - 19. The Chief Secretary Govt. of Maharashtra
  - 20. Himachal Pradesh Public Works Department, Nirman Bhawan, Shimla
  - 21. The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi
  - 22. M/s HLL Infra Tech Services Ltd.
  - 23. The Assistant General Manager State Bank of India, Koti, Hyderabad
  - 24. Govt. of Uttar Pradesh and Agra Development Authority
  - 25. UP Projects Corporation Limited, Govt of Uttar Pradesh
  - 26. The Chief Secretary Govt. of Maharashtra
  - 27. The Executive Engineer, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Mumbai
  - 28. Uttarakhand Payjal Nigam
  - 29. The Chief Secretary Govt. of Rajasthan and Jodhpur Development Authority
  - 30. The Chief Secretary Govt. of Andhra Pradesh
  - 31. The Chief Secretary Govt. of West Bengal
  - 32. Deputy Secretary (NITs/COA/SPAs), Department of Higher Education, Ministry of Education, New Delhi
  - 33. Town and Country Planning Department, Dehradun, Uttarakhand

- 34. Dholera Industry City Development Limited Gandhi Nagar, Gujarat
- 35. The Chief Secretary Govt. of West Bengal and National Projects Construction Corporation Limited
- 36. Aurangabad Housing and Area Development Board, Kalanagar
- 37. Jharkhand State Building Construction Corporation Ltd
- 38. NBCC (INDIA) Limited, Lodhi Road, New Delhi
- 39. Roads and Building Department, Govt. of Telangana,
- 40. Institute of Town Planners, New Delhi
- **20. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972:** The Council on 8<sup>th</sup> July, 2021 submitted a proposal for amendment of Section 37 of the Architects Act, 1972, with the Central Government with an objective to prohibit unqualified and untrained persons from practising architecture. The President, COA, has recently met the Hon'ble Education Minister for taking up the proposed amendments further. Further, the Council in its 79<sup>th</sup> (Emergent) Meeting also approved proposal for carrying out comprehensive Amendments in the Architects Act, 1972. The amendment would cover the following issues:
  - i) Introduction of definition of "Architecture Services" so that these services can be reserved for architects;
  - ii) Introduction of Professional Practice Examination to ensure the competencies of architects entering into profession to practice independently;
  - iii) Introduction of LL.P. form of organization for providing architectural services by Architects to save architects from personal and professional liability and to have less cumbersome form of organization with a separate legal entity;
  - iv) Introduction of two schedules for recognized qualification one for Undergraduate qualifications and another for postgraduate qualifications, so that qualification for registration as an architect and additional qualifications can be differentiated and PG qualifications can be recognised under the Act;
  - v) Introduction of word "India" in the name of Council of Architecture so as to provide a national level identity to Council.
  - vi) To maintain "electronic" copies of Register of Architects for safe and economic preservation of large-scale data and to ensure smooth access to all concerned.
  - vii) Appointment of only an Architect to architectural posts in Government departments to ensure that public buildings are constructed with fullest professional inputs in most aesthetic and functional manner.
  - viii) Introduce prohibition on rendering of architectural services by non-architects.
  - ix) Introduction of prohibitory clause on further registration of architects by local bodies so that architects are not compelled to seek registration in and every local body to practice the profession.
  - x) Enabling provisions for charging fees by Council on complaints filed for professional misconduct against architects.
- 21. AMENDMENT IN ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE FOR THE ACADEMIC SESSION 2023-2024: The Council, with the approval of the Central government amended the eligibility prescribed for admission to B.Arch. Course in Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020 as under:
  - 4(1) "No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or information Technology or informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate".

- (2) "The Candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (i.e.JEE or NATA conducted by the Council of Architecture."
- 22. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT: Sections 22 and 30 of the Architects Act, 1972 mandate the Council to take action against architects for professional misconduct. The Central Government has framed Council of Architecture Rules, 1973 inter alia prescribing procedure to deal with such complaints. During the period under report the Council received 35 new complaints against Architects. In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time, by gazette notification to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council. No meetings of the Disciplinary Committee could be held due to a vacancy in the membership of the Committee. The Central Government is in the process of issuing appropriate notification reconstituting Disciplinary Committee.

In terms of provisions of Section 30 of the Act, the Council in its 80<sup>th</sup> Meeting held on 02.09.2023 after affording opportunity of hearing passed following orders :

- 1. AR. SUHAS MAHANT, MUMBAI Suspended from practice as an architect for a period of 6 months.
- AR. SURENDRA SINGH, GHAZIABAD Suspended from practice as an architect for a period of 12 months.

3.

- 23. COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS: In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972. The Council has constituted a committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Council has received 04 new references for consultation with Council on recognition of Foreign Architectural Qualifications under the Architects Act. Further, the Committee met 02 times and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.
- 24. COMPLAINTS AGAINST QUACKS MISREPRESENTING AS ARCHITECTS: Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misuse of title and style of architect and if any person misuses the title and style of architect or misrepresents himself as an architect, he shall attract a fine of Rs.500/- for the same. During the period under report, the Council has received 81 complaints where non-architects violating the provisions of the Architects Act, 1972 and appropriate action has been taken in the matter by the Council.
  - 25. SUPPLY OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT: Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, is Public Information Officer in the Council and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is the First Appellate Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005. During the period under report, the Council provided information in respect of 108 RTI Applications and dealt with 14 First Appeals as per the RTI Act. The Council has made efforts to disclose maximum information in public domain to reduce the number of RTI Applications and subsequent appeals.
- **26. COURT CASES:** During the period under following new court cases were handled by the Council to uphold the provisions of the Architects Act, 1972 and Regulations framed thereunder:

S. No.	Name	Court	Issue involved	Current Status
1.	Civil Appellate Jurisdiction) SLP(Civil) No. 002230 of 2023 Diary No. 1085 Registrar, Council of Architecture V/s Palak Dixit and ORS.	Supreme Court of India	Late Admission in B.Arch. Course	Disposed
2.	In the matter of Dobariya Mohit Ramnikal V/s	Delhi High Court, New Delhi	Recognition of Foreign PG Architecture Degree Course	Pending

			T	<u> </u>
	Union of India & anr. Writ Petition Civil No. 4100 of 2023			
3.	Writ Petition No.3936 Of 2023 Students Academic Education Society Vs State of Maharashtra And Others	High Court, Bombay	Regarding change of site and starting college in new building.	Disposed
4.	Sohan Lal Saharan Vs. Administrator Chandigarh Administration at the Central Administrative Tribunal, Chandigarh bench OA No. 0060/368/2023	Central Administrative Tribunal, Chandigarh bench	Denial of promotion to Petitioner	Pending
5.	Harish Bajaj Vs Council of Architecture Complaint case noof 2023 & Suit for Permanent and Mandatory Injunction	Saket Court, Delhi	To stop respondent from Abusing Council Members	Next Hearing on 9th July 2024
6.	Writ Petition No: 13546 of 2023, and W.P. NO.13546 of 2023, Joseph Sriharsha & Mary Indraja Educational Society V/S Union of India and others	High Court, Andhra Pradesh, Amravati	Regarding deemed to be University Status by UGC	Pending
7.	Sal School of Architecture V/s Piyam Jignesh Dave LPA 8052/2023	Gujarat Hight Court	Regarding migration to another institution for pursuing B.Arch. course and charging of full fees by previous institution	Pending
8.	Sri Siddi Gyana Sai Akshay, S/O Surya Prakash Vs Woxen University and Others, Writ Petition No.12373 of 2023	High Court, Hyderabad Telangana	Expelling the Petitioner	Disposed
9.	W.A.No. 150/2023 Inamul Hassan V/s The Council of Architecture, another	High Court, Guwahati, Assam	Regarding Security deposit to Council for running Architecture Course.	Dismissed
10.	W. P. no. 18127 of 2023 Pandit Dwarka Prasad Mishra V/s Council of Architecture	High Court, Madhya Pradesh, Jabalpur	Regarding appointment of Arbitrator for adjudication of disputes between University and Architect	Pending
11.	W. P. NO. 16693/2023 Sharan Desai, V/S The Principal Secretary to Government, Higher Education Department, Bengaluru And Others	High Court, Karnataka, Bangalore	Removal of the Petitioner from the Post of Principal in Vrindavan College, Bengaluru	Pending
12.	Ms. Bhavya Solanki V/s Guru Gobind Singh Indraprastha University and Ors WP (C) 13711 of 2023.	High Court, Delhi at New Delhi	Refusal of I.P. University to allow the petitioner appear in exam	Disposed

13.	Manasaran G Vs Union of India and Others WP(C) No. 43682 of Year 2023	High Court, Kerala	Eligibility for admission to B.Arch. course	Pending
14.	W.P. No. 27908 of 2023 (S-RES) Sharan Desai, M. Arch, USA V/s. The Principal Secretary to Government, Higher Education Department, Bengaluru and Others.	High Court, Karnataka, Bangalore	Challenging the decision of the State Government upholding removal of the petitioner from the post of Principal.	Pending

With the above a total of about 80 cases, including criminal complaints filed by the Council for violation of Architects Act, 1972, are pending in various courts of law.

27. LAYING DOWN CRITERIA FOR NOMINATION OF A MEMBER OF THE COUNCIL UNDER SECTION 3(3)(f) OF THE ARCHITECTS ACT, 1972: The Hon'ble Karnataka High Court in Writ Petition No.16114 of 2021 vide its order dated 08.01.2023 at para16 (iii) as ordered as under: -

"The Union of India shall take steps to notify certain criteria for nomination of Members of the Council qua the qualification and experience under the Rules, which would become binding on every State Government as expeditiously as possible."

The Council has also submitted its suggestions to the Ministry in the matter and appropriate amendments in Council of Architecture Rules, 1973 are awaited.

28. INTRODUCTION OF SUBJECT OF CLIMATE CHANGE IN THE B.ARCH. COURSE: In order to address issues related to Climate Change in the context of Architectural education, the President, Council of Architecture constituted a Sub-Committee consisting of Ar. Vishal Vyas as Convenor, Prof. Prasad Vaidya, Member, Prof. Ashok B. Lall, Member, Ar. Sandeep Shikre, Prof. Hina Zia, Member, Prof. Rajiv Mishra, member, Dr. Vijaylakshmi Iyer, member, Dr. Anand Achari, Member, Prof. Suresh Murthy, member, Ar. Swati Puchalpalli, member, to assist the Council of Architecture to suggest appropriate changes to the curriculum in Architectural Institutions.

The recommendations made by the Committee have been approved and all architectural institutions have been directed to include the subject of Climate Change in their Course curriculum.

- 29. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH VARIOUS DEPARTMENTS/ ORGANISATIONS: In order to further the objectives of the Architects Act, 1972, the Council has entered into MOUs with BEE, GRIHA, IPA, IGBC, SEPC, DEPWD etc. During the year under report the Council also entered MOU with Alliance for an Energy Efficient Economy (AEEE), New Delhi on 20.05.2023 for promotion of energy efficiency methods and techniques by Architects and also with Centre for Green Building Materials and Technology (CGBMT) on 03.08.2023 to disseminate knowledge related with sustainable sector amongst Architects and other stakeholders.
- 30. MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS FOR RECOGNITION INDIAN ARCHITECTURAL QUALIFICATIONS BY FOREIGN AUTHORITIES: The Council is in active correspondence with authorities of UK, Australia and US for recognition of Indian Architectural qualifications abroad with the assistance and support of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.

The Executive Committee of Council held an online meeting with Architects Registration Board (ARB), UK on 02.06.2023. Further, a delegation of Indian Architects held a meeting with ARB in London on 27.06.2023 during their visit for London Design Week. Norms and requirements of India and UK for architects are being examined for continuing further dialogue in the matter.

# 31. EQUIVALENCE OF FOREIGN PG QUALIFICATIONS IN ARCHITECTURE FOR EMPLOYMENT IN INDIA:

The Council receives numerous representations and public grievance from architects who have completed their Postgraduate Qualifications in Architecture from abroad about non-recognition/ equivalence of their qualifications with Master's Degree in Architecture in India. The matter was also discussed with the officials of the Ministry and the Ministry desired that a scheme be prepared for grant of equivalence based on some pre-

determined parameters including conduct of examination for grant of equivalence to Foreign PG qualifications in India so that the concerned architects can avail the benefits of their higher qualifications.

Accordingly, a Sub-committee under the Convenorship of Dr. Vandana Sehgal and Dr. Minakshi Jain, Member, Dr. Kavita D. Rao, Special Invitee, Dr. P.S.N.Rao, Special Invitee and Dr. A. Srivatsan, Special Invitee, was constituted to prepare the scheme and mechanism for grant of equivalence to Foreign PG Qualifications in Architecture with Indian Master's Degree Course in Architecture by the Council. The Committee after taking serious note of the issue has proposed an automated process for facilitating Equivalence of Master's Degree in Architecture which is easily accessible, time bound, single window, fair and objective for making application for equivalence on the COA website. The Council in its 79<sup>th</sup> Meeting held on 12<sup>th</sup> March, 2023, approved the Foreign PG qualification Scheme and the same was submitted to the Ministry of Education for according their approval for implementation. The approval of the Ministry is awaited.

- 32. COLLECTION OF GST ON SERVICES PROVIDED BY ARCHITECTS: After receipt of several representations, from Architects, the Council has requested the Hon'ble Finance Minister, Govt. of India, that collection of GST on Architectural Services should be made responsibility of Client instead of Architects. Appropriate action from the Ministry of Finance is awaited.
- 33. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON UNIVERSAL ACCESSIBILITY: In order to further the objectives of the Architects Act, 1972, the Council has entered into MOU with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, inter alia for preparing a Manual on Universal Accessibility and conduct of training of Architects / Universal Accessibility Auditors, incorporating Universal Accessibility as a core subject in the course curriculum of Architecture course as all levels.
- **34. GRANT OF AWARDS TO ARCHITECTURAL STUDENTS BY THE COUNCIL:** In order to promote research and innovation in architecture the Council is granting awards to meritorious students and colleges nominating winning student entries every year in following categories:

# A) COA Awards for Excellence in Architectural Thesis 2023 and JK AYA Best Architecture Student of the Year 2023

### At each Zonal Event (In two categories):

#### Category A. Architectural Project

- 1. To the author of the best thesis project, (selected for the Final Jury) Rs 15,000/- + Certificate each
- 2. To the authors of the next Four thesis projects Rs 10,000/- + Certificate each

### Category B. Project addressing concerns within the society

- 1. To the author of the best thesis project, (selected for the Final Jury) Rs 15,000/- + Certificate each
- 2. To the authors of the next Four thesis projects Rs 10,000/- + Certificate each

### At the National Event:

### Category A. Architectural Project

- 1. To the authors of the best Two thesis projects Rs. 1,00,000/- + Certificate each
- 2. To the authors of the next Three thesis projects Rs. 25,000/- + Certificate each

### Category B. Project addressing concerns within the society

- 1. To the authors of the best Two thesis projects Rs. 1,00,000/- + Certificate each
- 2. To the authors of the next Three thesis projects Rs. 25,000/- + Certificate each

Research Grant to be given to the 4 colleges nominating winning entries (two in each Category) at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

### At the National Event:

1. To the author of the thesis project selected for JK AYA Best Architecture Student of the Year Award 2023: Rs. 25,000/-, Trophy and citation. (by J.K.Cement Ltd.)

#### B) COA Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture 2023:

- 1. The author of the best three thesis projects Rs. 1,00,000/- + Certificate each.
- 2. To the author of the three runners up thesis projects Rs. 25,000/- + Certificate each.

Research Grant to be given to the 3 colleges nominating winning entries at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

# C) COA Students Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage 2023: (three categories)

- 1. Winners at the Zonal Level (Total 6 Nos. in each zone, 2 in each category) Rs.15,000/- + Certificate each
- 2. Winners at the National Jury (Total 3 Nos., 1 in each category) Rs.1,00,000/- + Certificate each
- 3. Citation at the National Jury (Total 6 Nos., 2 in each category) Rs.25,000/- + Certificate each.

Research Grant to be given to the 3 colleges nominating winning entries (one in each Category) at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

**TRAINING PROGRAMMES UNDERTAKEN AT TRC PUNE & BHOPAL:** TRC's Pune conducted one offline and 35 online training programmes for teachers and professional architects in Pune and other cities during the last year. These programmes were attended by 1561 participants from across the country. The details of the programmes are as follows:

### 1. Teachers Training Programme at COA TRC Pune:

Sr. No.	<b>Details of Training Programmes</b>	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
1.	Crossing the First Milestone in Research: Tips and Techniques for a thorough Literature Review and Formulating Research Topic in the areas of Architecture, Urban Planning, and Urban Design	Aruna Sri Reddi	17 <sup>th</sup> to 21 <sup>st</sup> April 2023	53
2.	Teaching - Learning and application of History for Architects	N.S. Rathore	17 <sup>th</sup> to 21 <sup>st</sup> April 2023	65
3.	Traditional Indian Architectural Knowledge Systems	Ashwini Pethe	8 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup> May 2023	45
4.	Qualitative Research	Abhijit Natu	29 <sup>th</sup> May to 2 <sup>nd</sup> June 2023	53
5.	Incorporating Cultural Heritage in Architectural Curriculum and Pedagogy	Debalina Ghosh	29 <sup>th</sup> May to 2 <sup>nd</sup> June 2023	29
6.	Writing Architecture: A critical conscious understanding of using architectural writings in research papers, articles and in exploring innovative allied interdisciplinary fields of Architecture	Vedvati Datar	5 <sup>th</sup> June to 9 <sup>th</sup> June 2023	48
7.	Urban India 2047: Shaping the Future of Indian Cities	Asmita Yadav	19 <sup>th</sup> to 23 <sup>rd</sup> June 2023	58
8.	Towards an Impact Driven Architectural Curriculum	Radhika Nagpal	3 <sup>rd</sup> to 7 <sup>th</sup> July 2023	26
9.	Interpretations of SDGs in Architecture & Design Studies	Dhiraj Salhotra	17 <sup>th</sup> to 21 <sup>st</sup> July 2023	48
10.	Empathy Building Mental Health Workshop	Suha Khopatkar	24 <sup>th</sup> to 28 <sup>th</sup> July 2023	30
11.	Connotation of Research in Architecture Journalism: Procedures in Academics and Professional Practice	Jagbir Singh	31 <sup>st</sup> July 2023 to 4 <sup>th</sup> August 2023	34
12.	"Fostering Quality Architectural Education: Academic Planning, Implementation of learning & Academic Documentation	Tanaya Verma	7 <sup>th</sup> to 11 <sup>th</sup> August 2023	101
13.	Water and its role in designing the built environment	Pooja Ugrani	7 <sup>th</sup> to 11 <sup>th</sup> August 2023	39

14.	Urban Commons-Opportunities & Approaches	Shanthala V.	11 <sup>th</sup> to 15 <sup>th</sup>	29
15.	Aesthetics and Visual language: Research and Design	Kaivan Mehta	September 2023 12 <sup>th</sup> to 16 <sup>th</sup>	60
13.	Pedagogy in Architecture	Karvan wienta	September 2023	00
16.	Universal Accessibility Training	Jayashree	12 <sup>th</sup> to 23 <sup>rd</sup>	49
10.	Oniversal recessionity Training	Deshpande	September 2023	•
17.	Understanding Undergraduate Architectural Thesis	Anjali Cheriath	9 <sup>th</sup> to 13 <sup>th</sup>	40
- / ·	Charletining Charletinate Francisco and Theore		October 2023	
18.	Interdisciplinary Research and Practice in Architecture	Mamatha Raj	30 <sup>th</sup> October to	25
	The state of the s		3 <sup>rd</sup> November	
			2023	
19.	Synthesis of Diagrams and Representation in	Thushara G. Nair	30 <sup>th</sup> October to	47
	Architectural Design		3 <sup>rd</sup> November	
			2023	
20.	Architecture Curriculum and Pedagogy Post NEP 2020	Shaila Bantanur	20 <sup>th</sup> to 24 <sup>th</sup>	54
			November 2023	
21.	Integrating water sensitivity in Architectural Education	Anil	20 <sup>th</sup> to 24 <sup>th</sup>	24
	,	Ravindranathan	November 2023	
22.	Design Thinking - From Empathy to Innovation	Bhakti More	11 <sup>th</sup> to 15 <sup>th</sup>	34
	The year of the ye		December 2023	
23.	Housing for all and its Future in Sustainable	Shalini D. Reddy	18 <sup>th</sup> to 22 <sup>nd</sup>	73
	Development		December 2023	
24.	Rethinking Pedagogy: Exploring the potential of Digital	Navara A.	8 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup>	48
	technology		January 2024	
25.	Generative AI Architectonics: Faculty Empowerment for	Anurakti Yadav	8 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup>	44
	Tomorrow's Architects		January 2024	
26.	Redefining Skyscrapers : Exploring Advanced Systems	Parikshit	15 <sup>th</sup> to 19 <sup>th</sup>	41
	in Tall Building Design	Waghdhare	January 2024	
27.	Augmenting Living Buildings – Retrofit, Repurpose,	Kaiwan Mehta	15 <sup>th</sup> to 19 <sup>th</sup>	47
	Recondition		January 2024	
28.	Ecological Perspective in Architectural Education	Aditi Navgire	29th January to	54
			2 <sup>nd</sup> February	
			2024	
29	Application of AI in Architecture, Design and Research	Shaila Bantanur	29 <sup>th</sup> January to	46
			2 <sup>nd</sup> February	
			2024	
30.	Interpretation of SDGs - Landscape and Environmental	Dhiraj Salhotra	19th February to	41
	Studies		23 <sup>rd</sup> February	
			2024	
31.	Building Environmental Performance Simulation &	Sailee Gosavi	19th February to	30
	Assessment		23 <sup>rd</sup> February	
			2024	
32.	Research Premise and Research Methodology Design	Rama R.	26 <sup>th</sup> February to	42
		Subramanian	1st March 2024	
33.	Architectural Design Brief – A Preamble to Design	Abhishek	26 <sup>th</sup> February to	31
	Studio and its Evolution	Chakraborty	1st March 2024	
34.	Universal Accessibility Training (Conducted Offline at	Jayashree	11 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup>	25
	New Delhi)	Deshpande	March 2024	
_			4- '	
35.	Application of PLS-SEM in Research	Anurag Varma	18 <sup>th</sup> to 22 <sup>nd</sup>	27
			March 2024	
36.	Sustainable Architecture: Embracing Renewable Energy	Aruna Bhardwaj	18 <sup>th</sup> to 22 <sup>nd</sup>	21
	& Sustainable Practices		March 2024	
			Total	1561

### 2. Training Programme at COA TRC Bhopal:

- 08-Day National Level Training Program on Parametric Tools and Computational Design in Architecture from 1<sup>st</sup> April - 23<sup>rd</sup> April 2023.
- FDP on Methodology & Exploration in Architectural and Planning Research from 24th April - 28th April 2023 .
- 3. National Online Training on Python for Beginners-Level 1 from 6th May 2023 to 28th May 2023.
- 4. FDP on Urban Environment, Sustainability And Climate Change from 15th May to 19th May 2023.
- 5. National Online Workshop on UAV Drone for Urban Feature Delineation An Open-Source Procedure from 22nd May to 26th May 2023.
- FDP on Architecture Urbanism Adapting cities to climate change and Resilience from 29th May to 2nd June 2023.
- 7. National Conference on Multidisciplinary Aspects of Design; Enhancing the Connections\_2023 from 01st June -03rd June 2023.
- 8. FDP on Learn to Build Interactive Dashboards to Analyse & Present Data Effectively in Architecture and Planning 12 June 2023 16 June 2023.
- National Online FDP on Disaster Management & Urban Resilience from 3<sup>rd</sup> July 2023 to 7th July 2023.
- National Online FDP on Current Research and Practices in Architecture and Planning from 10th July to 14th July 2023.
- 11. National Online FDP on Integrating Simulation Software for Optimal Building and Urban Built Environment from 17th July to 21st July 2023.
- 12. National Online FDP on Learning from the Architecture studio Implications for Project-Based Pedagogy from 24th July to 28th July 2023.
- 13. National Online FDP on Urban Ecological Resilience Initiatives for Sustainable Development from 31st July to 4th Aug 2023.
- 14. National Online Five-Day Teacher Training Program on Pedagogy in Teaching Architectural Graphics and Presentation from 14<sup>th</sup> Aug 2023 to 18<sup>th</sup> Aug 2023.
- 15. National Online FDP on Sustainable Cities & Communities from 21st to 25th August 2023.
- 16. National Online FDP on Breaking Barriers: Universal Design for Accessibility in the Built Environment from 11<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> September 2023.
- 17. National Online STTP on "Python for Beginners Level 1" from 18th to 22nd September 2023.
- 18. National Online FDP on "Building Energy Performance" from 25th to 29th September 2023.
- 19. National Online STTP on "Data Visualization Tools for Data Analysis & Decision Making: Tableau and Power BI" from 9th to13th October 2023.
- National Online FDP on "Manifesting the utilization of software's in architecture" from 30th October to 03rd November 2023.
- 21. Day National Online FDP on "Research Methods & Techniques in Architecture & Planning" from 8<sup>th</sup> to 12th January 2024.
- 22. International conference on "APIC" (Architecture and People International Conference) 2024, from 24 to 25 February, 2024 at Rizvi College of Architecture, Mumbai.
- 23. National Online STTP on "Python for Beginners Level 2" from 22nd March to 26th April 2024.

- **36. ANTI RAGGING MEASURES IN ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:** The Council has adopted the UGC Regulations on Anti-Ragging and all Architectural Institutions have been asked to strictly adhere to the same. During the year under report no incident of Ragging of any student was report by any institution or student to Council. Shri Deepak Kumar, Administrative Officer is Nodal Officer of Council on Anti Ragging.
- **AMENDMENT IN COA RULES 1973 FOR ENHANCEMENT OF FEE BEING CHARGED BY COUNCIL FROM ARCHITECTS:** The Council in its 72<sup>nd</sup> Meeting held on 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> January, 2020, a proposal for revision of fees was submitted with the Ministry of Education, Government of India, on 18<sup>th</sup> November 2020, for suitably amending the Council of Architecture Rules, 1973 for enhancing the fees being charged from the Architects. The certain clarifications were sought by the Ministry and the same were provided by the Council. The approval of the Ministry is awaited.
- 38. INTRODUCTION OF AADHAR BASED AUTHENTICATION OF INDIVIDUALS BY THE COUNCIL: The Council has decided to introduce Aadhar based authentication as for part of its initiatives for Good Governance. Accordingly, Ministry of Education, Govt. of India, was requested to issue the notification under the Aadhar Rules. The Ministry of Education has issued the required notification in the matter.
- 39. **APPROVAL** OF COUNCIL OF **ARCHITECTURE** (MINIMUM **STANDARDS ARCHITECTURAL EDUCATION FOR POSTGRADUATE DEGREE** PROGRAMME) REGULATIONS, 2022: The Council in its 77th Meeting held on July 15, 2022 approved the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education for Postgraduate Degree Programme) Regulations, 2022. These regulations have been submitted to the Ministry of Education, Govt. of India, in November, 2022, for according their approval in terms of Section 45 of the Architects Act, 1972. The approval of the Ministry is awaited.
- **40. SAMUNNATI STUDENT BIENNALE DECEMBER 2023:** The Ministry of Culture, govt. of India, has organised the event, which is India Art, Architecture & Design Biennale 2023 (IAADB'23), which was held from 9<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> December, 2023 at the historic Red Fort at Delhi. As part of the Biennale the Council organised Students Biennale Samunnati 2023 which was held from 9<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> December, 2023 at Lalit Kala Academi, New Delhi. Hon'ble Minister of State for Culture, Smt. Meenakashi Lekhi, inaugurated the programme. *Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, IAS (Retd), Chairman, National Council for Vocational Training,* attended Valedictory function held on 15<sup>th</sup> December, 2023 and distributed the awards to winners/ participants. About 108 architectural institutions participated in the event. Further, students of several CBSE affiliated Schools also participated in various on the spot competitions held during the 7 days events.
- 41. CONDUCT OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON "ARCHITECTURE EDUCATION IN CHANGING WORLD" AT VIT VELLORE, CHENNAI ON 15<sup>TH</sup>, 16<sup>TH</sup> AND 17<sup>TH</sup> FEBRUARY, 2024: The Council conducted an international Conference titled as "COA International Conference Architecture Education in the Changing World -Reviewing and Rethinking the Way Forward (COA-ICFAE)", a premier conference dedicated to the dynamic and evolving landscape of Architectural Education, from 15<sup>th</sup>, 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> February 2024 at VIT, Vellore, Tamil Nadu. Renowned experts and thought leaders in architectural education conducted engaging sessions on emerging trends, challenges, and innovative approaches in 6 Sub-Themes of architecture education. Selected papers received for the conference will be presented by the authors to contribute to the academic discourse at the conference. This conference provided a unique platform for educators, researchers, and industry professionals to come together, connect and explore the transformative potential of architectural education. With an emphasis on innovation, technology, and interdisciplinary collaboration, COA-ICFAE aimed to inspire new ideas and strategies for shaping the future of architectural education. "Samunnati Vistarah Architecture Education in the Changing World" was based on following six broad themes:
  - 1) Relevance of Architecture Curriculum to Practice and Research;
  - Role of Regulatory Bodies;
  - 3) Emerging Technologies in Architecture;
  - 4) Contemporary Concerns in Architecture;
  - 5) Innovative Initiatives; and
  - 6) NEP and its implication on Architectural Education.

- 42. TRAINING OF TRAINERS IN UNIVERSAL ACCESSIBILITY: The Council conducted Training of Trainers in Universal Accessibility as part of MOU between COA and DEPwD. The program was attended by senior architects and educators across India. The first part consisting of three modules was conducted for 6 days online by experts in the field. The second part comprising of two modules was conducted offline in the Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi. A book of Abstracts, containing briefs of the training modules was printed and released at the hands of Km. Pratima Bhowmik, Minister of State of Social Justice and Empowerment. The training program culminated with the award of certificates to successful participants and speakers at the hands of Shri Rajesh Agarwal, Secretary, DEPwD, and Prof. Abhay V. Purohit, President, COA.
- **43. PUBLICATIONS**: The Council is publishing Magazine "Architecture Time Space and People" and CANewletter in e-format containing various articles related to Architecture and allied subjects and news and information about the Council and its activities. The Council has purchased following books at concessional rates for distribution to Architectural Institutions for promotion of architectural education and profession:

S.No.	BOOK TITLE	AUTHOR/PUBLISHER NAME
1.	Journal of Council of Architectural (JCOA) -Heritage and	Council of Architecture
	Conservation	
2.	Just give me some space.	Ar. Suha Riyaz Khopatkar
3.	Let's build with bamboo (vol 1 & vol 2).	Ar. Neelam Manjunath
4.	Archiving Architectural Thesis – 2020.	Council of Architecture
5.	Learning Basic Design.	Prof. Pradnya Chauhan
6.	Form Follows Roots Architecture for India - 1985-2021.	Ar. Surinder Bahga
7.	Architecture: Conceptual to the Menifest - (2012).	Shri Prof. Kulbhushan Jain
8.	Cubist Modernism – The Making, Meaning and Madness of my	Ar. Sangeet Sharma
	Architecture.	
9.	Courtyard Houses of India.	Yatin Pandya
10.	Architectural Inheritance and Evolution in India.	Apurva Bose Dutta
11.	Chandigarh.	Ar. S S Bhati
12.	Architecture: Theory, Practice, Research, and Pedagogy.	Ar. S S Bhati
13.	Sheltering Angle.	Ar. Asha Baste and Late Ar.
		Prabhakar Baste

The following books have been printed and distributed to the colleges of architecture in India

- Archiving Architectural Thesis 2022
- Documenting Architectural Heritage 2021
- Re Imagining Urban Voids
- Cultural Resource Mapping: A Tool for Strengthening the Future

The following books are in printing process and will be distributed shortly:

- Archiving Architectural Thesis 2021
- Documenting Architectural Heritage 2022

The following books are in designing process and being compiled for printing. These will be published and distributed shortly:

- Archiving Architectural Thesis 2023
- Documenting Architectural Heritage 2023
- Archiving Post Graduate Thesis in Architecture

The Book of Proceedings for the COA INTERNATIONAL CONFERENCE on 'Architecture Education in the Changing World: Reviewing and Rethinking the way forward' is being compiled and will be published by M/S Taylor and Francis shortly.

**44. ACKNOWLEDGEMENT:** The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council, Experts, Auditors, Advocates, other professional

bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council would like to thank Hon'ble Shri Nitin Gadkari Ji, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Govt. of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, Hon'ble Minister of Education, Govt. of India and Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce Minister, Govt. of India, Chairman, Shri Hardeep Puri, Hon'ble Minister of Housing & Urban Affairs, Govt. of India, Km. Pratima Bhowmik, Minister of State of Social Justice and Empowerment, Govt. of India. Parliamentary Standing Committee on Education, for their kind support and guidance to Council from time to time. The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2023-24.

Dated: 18.06.2024 R. K. OBEROI, Registrar

### REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS QUALIFIED OPINION

To.

#### The COUNCIL OF ARCHITECTURE

We have audited the accompanying financial statements of the Council of Architecture ("the Council), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, the Statement of Income and Expenditure, the Statement of Receipt & Payment for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Financial Statement")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report the aforesaid financial statement give the information required by the Council of Architecture Regulation, 1972 (as amended up to date) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Council as at 31st March 2024, its surplus and its receipt & payment for the year ended on that date.

### **Basis for Qualified Opinion**

We further draw attention to Note No. 3 the Council has transferred fund from "General Fund/ Surplus / Deficit account" to "House Building Premises Fund". The above fund pertains to the FY:2017-18 for Rs.10.93 Cr and for FY: 2018-19 of Rs 14.26 Cr. As per the provisions of Income taxact 1961 and rules made thereunder, which states that the earmarked funds should be used for the specific purpose only and moreover utilization of the above fund should be made within a period of Five years, from the end of the financial year of creation of the fund. During the current year, the funds for the FY: 2018-19 is not utilized up to the end of financial year, due to which it should be treated as the Taxable Income of the Council and in respect of the fund created in the FY:2017-18, utilization was required to be made on or before 31.03.2023.due to this same should be treated as taxable income of FY 2022-23, but same is not offered for tax in FY 2022-23. Due to this total income of the Council for current financial year is understated by 25.19 Cr and House Building Premises Fund is overstated by same figure, however the Council is consistently making efforts for utilisation of fund and made application for allowing extension of time for utilisation of fund for FY 2017-18 to Chairman, CBDT, which is yet to be disposed of by income tax department.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Council in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Council's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance the Council. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Council and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection, application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Council's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Council or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are also responsible for overseeing the Council's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a materialmisstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are
  appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
  the Council's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Council's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Council to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
  ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
  matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
  safeguards.

### **Report on Other Regulatory Requirements**

Further, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Receipt and Paymentdealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

For B C JAIN & Co.,

Chartered AccountantsFRN: 001099C

Sd/-

CA Shyam Ji GuptaPartner Mem No.416155

UDIN: 24416155BKEDUA4555 Place: New DelhiDate:09/07/2024

### **BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024**

(Amount - Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
		150000.00	150000.00
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF			
INDIA	1		
EARMARKED FUNDS	2	1513260089.00	1336399626.00
LIABILITIES	3	284024199.00	274840148.00
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	490275419.27	450394589.97
TOTAL		2287709707.27	2061784363.97
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS			
	4	239111356.00	240175456.78
INVESTMENTS	5	1902346953.00	1689753968.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	146251398.27	131854939.19
TOTAL		2287709707.27	2061784363.97
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

### INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

(Amount - Rs.)

			(Amount – Ks.)
	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	58055887.00	50638887.00
Other Income	9	104120791.81	108647510.51
Interest Earned	10	107750884.00	88568138.84
TOTAL (A)		269,927,562.81	247,854,536.35
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	11	23773418.00	24029122.00
Administrative Expenses	12	15573055.21	14728926.61
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	27310117.00	25751926.00
Depreciation	4	3390143.30	2196892.36
TOTAL (B)		70046733.51	66706866.97
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		199880829.30	181147669.38
Transferred to Surplus and Deficit Account		199880829.30	181147669.38
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

### RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2024

Amount (Rs.)

858,192,494.27	637,081,550.28	TOTAL	858,192,494.27	637,081,550.28	TOTAL	П
				0.00	<li>j) BEE Sponsorship/Administrative Charges</li>	Ī
				15,000,000.00		
			22,000.00	42,647,000.00		
			7,500,000.00	31,037,250.00		
170,882.00	0.00		53,210,000.00	4,722,836.48		
28,994,880.03	18,571,799.11		14,830,150.00	2,686,334.00		
248,905.77	2,626,442.77	3) Online PG Receipts	1,368,028.86	3,228,125.00	d) Other Advances Recovered	
		2) Savings Accounts	3,852,677.53	3,126,960.00		
651,340.00	7,520.00	1) In Current/OD accounts	1,898,848.00	150,341,221.00	b) FDR's Matured during the Year	
		b) Bank Balances	2,480,907.00	28,704,000.00	a) One Time Renewal Fee	
		a) Cash in hand & Drafts	432,471,780.00		VI. Other Receipts	1
		VI. Closing Balance	26,557,500.00	1,000,000.00		
7,500,000.00	7,500,000.00				g) Thesis Award Programme - Sponsorship	
590,025,457.00	355,434,206.00	b) Out of Security Deposit Received from Architectural Institution	,	4,351,500.00		
		a) Out of Earmarked/Endowment funds	1,000,000.00	26,700.00		
0,102,00	0,000,010.00	V. Investments and denosits made	4 204 300 00	1,000,107.00	e) Misc Income	
8 102 904 00	5 868 649 00	a) Internase of Fraction Assets	840.37	4 369 437 00	Sponsorshin	
		Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-In-Progress	/9,344,400.00	72 442 200 00		
0.00	/,500,000.00		440.00	10,3/3,988.00		
0.00	0.00	l) Security deposits from New Architectural Institutions	4,522,373.00			
2,250,980.00	2,456,772.00				V. OtherIncome	.<
830,362.00	879,017.00	j) Prepaid Expenses for NATA Examination				!
10,562,724.00	13,157,558.00	i) Interest Accrued on Staff Advance	0.00	226,200.00	g) Architects Identity Card Fee	
16,400,623.00	5,110,859.00		11,125,937.00	11,843,537.00	<li>f) Apportionment of One Time Renewal Fees</li>	
56,700,000.00	53,210,000.00	g) Amount receivable / Payable	14,304,650.00	17,240,750.00	e) Fine from Architects	
0.00	14,830,150.00	f) Evaluation Fees Advance	186,000.00	207,600.00	d) Duplicate Certificate Fee	
11,125,937.00	11,843,537.00	e) NATA Fee Advance	6,253,000.00	8,514,000.00	c) Restoration Fee	
3,239,959.00	1,770,596.00	d) Apportionment of One Time Renewal Fees	10,719,100.00	11,469,000.00		
1,946,600.00	3,258,400.00	c) Other Advances	8,050,200.00	8,554,800.00	a) Registration Fee	
8,705,123.00	10,805,201.00	b) Advances to Staff			IV. Fee Income	IV.
		a) TDS deducted by the Bank/Companies				
,	,	III. Other Payments	2,376,170.00	1,279,570.00		
5,111,081.00	4,953,083.00		820,362.00	879,017.00		
242,000.00	0.00	g) Conduct of Quality Improvement Programme Expenses	85,371,606.84	105,592,297.00		
11.921.464.00	12.007.196.00	f) BEE Program Expenses			III. Interest Received	Ε
0.00	0.00	d) Publication Expenses	1,000	0.000		
0.00	0.00		32,000,000.00	0.00	A rhitration Fee / Administrative Charges	
23,2/1,03/.00	23,771,128,10	b) Evaluation & hisperion expenses	# 100 000 00	4,100,000.00	o) Charges for Changes Closule of Manierone of	
22 271 677 00	20 127 700 00	a) NATA Expenses	150,000.00	1,860,000.00		
		II. Payments made against funds for various Projects	59,800,000.00	50,000.00		
1,707,500.00	104,972.00			60,140,000.00		
475,000.00	0.00				II. Funds Received	Ħ.
2,503,114.00	996,829.00					
1,990,250.00	5,193,489.00	e) Centre for Excellence, Bengaluru - Design Comp./Architects Exps.	18,950,954.40	28,994,880.03		
1	,	d) Thesis/Heritage Award Programme Expenses	752,622.77	248,905.77		
2,043,517.00	7,750,905.00				c) Bank Balances	
14.728.926.61	15.573.055.21	b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	413.206.50	170.882.00	b) Online PG Receipts	
24 029 122 00	23 773 418 00		67 440 00	651 340 00	I. Opening Balance	·
rrevious rear	Current rear	FAIMENIS	Frevious rear	Current rear	NECELI 13	
Danisan Voca	Cumoud Voor	DAVATENTE	Danie Von	C Voor	ределена	٦

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) [ADVT.-III/4/Exty./457/2024-25]